सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेल भर्ती बोर्ड

केंन्द्रीयकृत रोजगार अधिसूचना

सीईएन संख्या 06/2026



विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) के पदों के लिए भर्ती



बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेटरों से सावधान रहें।

Downloaded from AIJobAlert.com · Verify all details on the official website.

विषयसूची

क्र.सं	पैरा सं.	विषय	पेज सं.
1	-	महत्वपूर्ण तिथियाँ	4
2	-	महत्वपूर्ण निर्देश	4
3	1.0	समान्य अनुदेश	7
4	2.0	रिक्तियाँ	10
5	3.0	चिकित्सा योग्यता का मानक	10
6	4.0	राष्ट्रीयता/ नागरिकता	11
7	5.0	आयु सीमा	12
8	5.1	अभ्यर्थियों की जन्म तिथि	12
9	5.2	आयु सीमा में छूट	12
10	6.0	शैक्षणिक योग्यता	13
11	7.0	परीक्षा शुल्क	13
12	7.1	शुल्क भुगतान के तरीके	14
13	7.2	अल्पसंख्यक	14
14	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)	14
15	7.4	परीक्षा शुल्क की वापसी	15
16	8.0	लंबवत आरक्षण	15
17	8.5	ओबीसी-एनसीएल आरक्षण	16
18	8.13	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	17
19	9.0	क्षैतिज आरक्षण	18
20	10.0	भूतपूर्व सैनिक	19
21	11.0	मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	20
22	11.7	स्क्राइब की सहायता की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशा-निर्देश	23
23	11.7.8	स्क्राईब के लिए पंजीकरण	24
24	12.0	वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)	26
25	13.0	भर्ती प्रक्रिया	26
26	14.0	आवेदन कैसे करें	30
27	14.2	खाता बनाएं	30
28	14.3	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश	31
29	14.4	आवेदन के दौरान अभ्यर्थी का लाइव फोटो कैप्चरिंग	31
30	14.5	अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़	32
31	14.6	स्क्राइब की सहायता	34
32	14.7	भरे गये आवेदन विवरण में संशोधन	36
33	15.0	कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)	37
34	16.0	आरआरबी की एकीकृत आधिकारिक वेबसाइट	37
35	17.0	आवेदन में संशोधन	37
36	18.0	अमान्य आवेदन/अस्वीकृति	38
37	19.0	ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश	38
38	20.0	मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप	39
39	21.0	अनुचित व्यवहार का प्रयोग	39
40	22.0	विविध	40
41	23.0	सीईएन में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप	41

सीईएन सं. 06/2026 विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों –स्नातक

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

क्र. सं.	अनुलग्नक सं.	विषय	पेज सं.
1	अनुलग्नक – ए	पोस्ट पैरामीटर	42
2	अनुलग्नक-ब	रे.भ.बो. तथा जोन-वार रिक्ति तालिका	43
3	अनुलग्नक- I	अजा (एससी)/अजजा (एसटी)अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र प्रारूप	53
4	अनुलग्नक- II	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - नॉन –क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रारूप	54
5	अनुलग्नक- II ए	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - नॉन –क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों द्वारा स्व-घोषणा	55
6	अनुलग्नक- III	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्लू एस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र	56
7	अनुलग्नक- III ए	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाणपत्र	57
8	अनुलग्नक- IV	दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफोर्मा	58
9	अनुलग्नक- V (ए)	फॉर्म –V दिव्यांग प्रमाणपत्र (अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)	59
10	अनुलग्नक-V (बी)	फॉर्म –VI दिव्यांग प्रमाणपत्र (एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)	60
11	अनुलग्नक-V (सी)	स्क्राइब सहायता लेने हेतु घोषणा पत्र	61
12	अनुलग्नक-V (डी)	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के सेक्शन 2(r) के तहत नहीं आने वाले, यानी 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति का प्रमाण पत्र।	62
13	अनुलग्नक-V (ई)	40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति हेतु घोषणा पत्र	63
14	अनुलग्नक-V (एफ)	परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक सीमा (40% या उससे ज़्यादा विकलांगता) के बारे में प्रमाणपत्र।	64
15	अनुलग्नक- VI	भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा	65
16	अनुलग्नक- VI (ए)	नियोजित अधिकारियों (भूतपूर्व सैनिक) के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप	66
17	अनुलग्नक- VII	लेसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र सर्जरी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले स्व-घोषणा का प्रोफार्मा	67
18	अनुलग्नक- VII (A)	निर्देश: लेसिक सर्जरी कराने वाले अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस	68
19	अनुलग्नक- VIII	फोटो बेमेल के मामले में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा (राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	69

सीईएन सं. 06/2026 विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों – स्नातक

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

भारत सरकार रेल मंत्रालय

रेल भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 06/2026

विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों (स्नातक) पदों की भर्ती

महत्वपूर्ण तिथियां:

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तिथि	26.09.2026
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	08.10.2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	06.11.2026 को 23.59 बजे तक
जमा किये गये आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	08.11.2026
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं(Create an Account)' फॉर्म में भरे गए विस्तृत विवरण और ' रे.भ.बो. चुने (Chosen रे.भ.बो.)' को संशोधित नहीं किया जा सकता है)	09.11.2026 से 18.11.2026

नोट:

1. विस्तृत सीईएन संख्या 06/2026 एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट यानी https://rrb.indianrailways.gov.in पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी इस सामान्य वेबसाइट से अलग-अलग आरआरबी के वेबपेजों पर नेविगेट कर सकते हैं (पैरा 16.0 देखें)। ऑनलाइन आवेदन जमा करने का लिंक https://www.rrbapply.gov.in को लाइव कर दिया जाएगा।
2. कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य नोटिस के लिए तिथियां समय-समय पर उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएंगी।
3. सीबीटी और पैनल के परिणाम उपरोक्त वेबसाइट पर अलग-अलग आरआरबी के आधिकारिक वेबपेजों पर अपलोड किए जाएंगे|

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन 06.11.2026 के 23.59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल	प्रारंभिक वेतन (रू.)	चिकित्सा मानक	01.01.2027 को आयु	कुल रिक्तियां (सभी रे.भ.बो.)
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	35400	बी2	18-33	127
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	29200	ए2		2750
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक			सी2		300
4	वरिष्ठ लिपिक सह टंकक			सी2		371
					कुल योग (सभी रे.भ.बो.)	**3548**
रे.भ.बो-वार और रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण **अनुलग्नक बी** में दिया गया है						

महत्वपूर्ण निर्देश:

(i) कृपया **ऑनलाइन** आवेदन भरने से पहले **सीईएन** में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।

(ii) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं हैं। **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

Downloaded from AIJobAlert.com · Verify all details on the official website.

(iii) आवेदन केवल आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से **ऑनलाइन** जमा किए जाने चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक-ए (**अर्थात, पद-वार मानदंड**) और अनुलग्नक- बी (**अर्थात आरआरबी-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्ति विवरण**) को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इस सीईएन में दर्शाई गई सभी रे.भ.बो. एवं रेल की रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

(iv) **रे.भ.बो. का चयन और पदों के लिए प्राथमिकताएं: अभ्यर्थी केवल एक रे.भ.बो. का चयन कर सकते हैं तथा उस चयनित रे.भ.बो. में ही रेलवे जोन/पीयू और अधिसूचित पदों/ कोटियों के लिए अपनी प्राथमिकता इंगित कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए इच्छुक और पात्र है।** आंशिक विकल्प वाले अभ्यर्थियों को आवंटन के समय उपलब्ध रिक्ति के अनुसार केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट रेल जोन/पीयू और पदों/कोटियों के लिए विचार किया जाएगा। यदि कुछ पदों/कोटियों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो उन पदों/कोटियों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार चुने गए विकल्प अंतिम होंगे और कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। **विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे। इस सीईएन के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के प्रयास के परिणामस्वरूप उसे आरआरबी और आरआरसी की भर्ती प्रक्रिया और भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

(v) **अभ्यर्थियों की पात्रता** ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। रे.भ.बो. पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। रे.भ.बो. द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता/आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि अभ्यर्थी ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या अभ्यर्थी पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।

(vi) अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/ मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) /भूतपूर्व सैनिक के लिए लागू आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों और सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास नियमों और सीईएन में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए।

(viii) **मेडिकल फिटनेस:** अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद(पदों) के लिए चयन कर रहे हैं, उसके लिए वे निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। **जो अभ्यर्थी चयनित पद(पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।**

(ix) **आयु (01.01.2027 को)** : **प्रत्येक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा पैरा 5.1 एवं 5.2 में**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

प्रासंगिक अधिकतम आयु छूट के साथ दर्शाई गई है।

(x) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए अभ्यर्थियों के पास अपना **सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी** होना चाहिए, क्योंकि भर्ती पूरी होने तक उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे। RRB किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

(xi) सीबीटी के लिए केंद्र/शहर का आवंटन और परीक्षा की तिथि तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। अभ्यर्थियों को सीबीटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि/केंद्र/शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "खाता बनाएँ" चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपने आधार विवरण प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान प्रमाणित कर सकते हैं। यह कार्रवाई किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले किसी भी समय की जानी चाहिए। इससे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सहज प्रक्रिया की सुविधा होगी। यदि आवेदक वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को सत्यापित करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच से गुजरना होगा।

(xiii) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, अभ्यर्थियों से एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले ही रे.भ.बो. सीईएन(**2024/2025/2026**) के दौरान खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन (अर्थात, सीईएन संख्या 06/2026) के लिए भी लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस CEN के लिए आवेदन भरने से पहले **'खाता बनाएँ'** पर जाना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार्य नहीं होगा। **<u>खाता बन जाने के बाद 'खाता बनाएँ (Create an accout)' फ़ॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।</u>**

(xiv) ऑनलाइन आवेदन जमा करने और लागू शुल्क के भुगतान के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी विवरण ('खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरणों को छोड़कर) में और संशोधन करना चाहता है, तो वह **09.11.2026** से **18.11.2026** तक प्रत्येक अवसर पर 250/- रुपये (वापसी योग्य नहीं) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता/सकती है। **<u>'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरण बदले नहीं जा सकते।</u>**

(xv) **<u>18.11.2026 के बाद, रे.भ.बो. आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।</u>**

(xvi) दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग आरआरबी के लिए रिक्तियों के 1: 1 की दर से आरआरबी-वार की जाएगी। यह सीबीटी में उनकी योग्यता के आधार पर होगा। कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट (पैरा 16.0 देखें) से अलग-अलग आरआरबी के आधिकारिक वेबपेजों के माध्यम से सूचित किया जाएगा, साथ ही एसएमएस और/या ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से डीवी में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए। साथ ही, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर अपडेट और नोटिस की नियमित रूप से जांच करें।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(xvii) **नकारात्मक अंकन**: सीबीटी में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए @1/3 अंक) होगा।

(xviii) सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।

(xix) **प्रतिबंधित वस्तुएँ:** संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी, ईयरफोन, ब्लूटूथ समर्थित उपकरण, माईक्रोफोन, हेल्थ-बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राईटिंग पैड, बेल्ट, हैंडबैग, कप, पर्स ,कैमरा, पानी बोटल, पैकेज/खुला खाद्य सामग्री आदि केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल ई-कॉल लेटर लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर पेन/पेंसिल नहीं लाना है। परीक्षा के दौरान उम्मीदार को पेन प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे हाथों या पैरों में मेंहदी न लगाए जिससे बॉयोमेट्रिक लेने में बाधा उत्पन्न होती है। इन निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कारवाई के साथ-साथ उसे भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा।

(xx) **भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूर्ण होने के बाद, आरआरबी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार ही पद और रेलवे/यूनिट आवंटित करेगा, जो कि मेरिट, आरक्षण और पैनल बनाए जाने की तिथि पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होगा। एक बार अभ्यर्थी पैनल में शामिल हो जाने के बाद, समान वेतन स्तर में किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे।**

(xxi) **कदाचार :** परीक्षा/सीबीटी के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर, किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा दिलाने, किसी अन्य का प्रतिरूपण करने अथवा ऐसा करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थी को सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा हेतु सम्मिलित होने से आजीवन वंचित (डीबार) कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा यदि वह पहले से रेलवे सेवा में नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। [ध्यान दें : दिनांक 31.07.2026 को संशोधित "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम और नियम, 2024 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।]

महत्वपूर्ण: प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट यानी `https://rrb.indianrailways.gov.in` ही देखें

नकली वेबसाइटों से सावधान रहें-वे भ्रामक और गलत जानकारी दे सकते हैं।

1.0 **सामान्य अनुदेश** :

1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते अभ्यर्थी सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

1.2 इस अधिसूचना के तहत पद(पदों) के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को खुद को संतुष्ट करना कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी/शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताएं हैं। **निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**

1.3 जो अभ्यर्थी इस सीईएन के तहत पद(पदों) के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और रे.भ.बो. और रेल भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

वंचित(डिबार) कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, जो अभ्यर्थी सूचना और/या तथ्यों में मामूली परिवर्तन के साथ एक से अधिक रे.भ.बो. को एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और/या एक ही रे.भ.बो. को एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को रे.भ.बो. और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से भी वंचित(डिबार) कर दिया जाएगा।

1.4 ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी द्वारा वंचित(डिबार) हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान जब भी पता चलेगा उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा।

1.5 **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**

1.6 अभ्यर्थी को खाता बनाते समय ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि जैसा एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/10वीं कक्षा परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में है वही दर्ज करना चाहिए ।

(अ) एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के संबंध में नाम में किसी भी तरह के बदलाव के मामले में, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अपना बदला हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम अलग से बताना चाहिए। हालाँकि, अन्य सभी विवरण एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र से मेल खाने चाहिए और ऐसे बदलाव की तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले की होनी चाहिए।

(ब) ऐसे मामलों के लिए, राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, परिवर्तित नाम के साथ किसी एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ, सीबीटी /दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1.7 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे **पैरा 14.4** में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी एक लाइव तस्वीर और पैरा **14.5.1** में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधली, अस्पष्ट या गैर-मानक तस्वीरों और/या हस्ताक्षरों वाले आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार किए जा सकते हैं।

1.8 सभी दस्तावेजों पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में एक जैसे होने चाहिए।

1.9 सीबीटी और दस्तावेज सत्यापन की तिथियां एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट से अलग-अलग आरआरबी के आधिकारिक वेबपेजों पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट से अलग-अलग आरआरबी के आधिकारिक वेबपेजों से डाउनलोड किए जाने चाहिए। ई-कॉल पत्र में इंगित सीबीटी केंद्र, तिथि और शिफ्ट अंतिम होगी, और दिनांक/समय/स्थान में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.10 सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। रेल द्वारा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पदों को भी बाद में शामिल किया जा सकता है। रे.भ.बो. बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी, अतिरिक्त डीवी/एमई आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। रे.भ.बो तकनीकी समस्याओं/अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से किसी भी सीबीटी/डीवी/एमई को रीशेड्यूल करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

1.11 रेल प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने प्रथम चरण सीबीटी में भाग लिया है।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(वापसी की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें)।

1.12 ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाता कि अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रे.भ.बो. द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जाँच की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता के साथ-साथ भर्ती के अगले चरणों यानी मेडिकल जाँच/दस्तावेज सत्यापन में की जाएगी।

1.13 रे.भ.बो. पात्रता शर्तों का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) केवल तभी करते हैं जब अभ्यर्थी परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अनंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय, रे.भ.बो. ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति या पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और साथ ही, ऐसे अभ्यर्थियों को रे.भ.बो. और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

1.14 **नियुक्ति का अधिकार**: रे.भ.बो. द्वारा चयन से अभ्यर्थियों को रेल में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। रे.भ.बो. का कार्य केवल क्षेत्रीय रेल के संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र-वृति सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव जारी करते हैं। श्रेणी/पद/रेल का आवंटन योग्यता, पद वरीयता, चिकित्सा योग्यता और पैनल तैयार होने की तिथि पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। रे.भ.बो. द्वारा श्रेणी/पद/रेल आवंटित किए जाने के बाद, अभ्यर्थी उस वेतन स्तर के अंतर्गत किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं।

1.15 **पोस्टिंग:** आम तौर पर, एक रेल कर्मचारी को उस रेल या रेल प्रतिष्ठान में पूरी सेवा के दौरान नियुक्त किया जाएगा जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और उनका किसी अन्य रेल या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करना होगा। हालांकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अनिवार्यताओं में रेल कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेल प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है। नव नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा **कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा** पूरी करने तक अन्य रेल में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रे.भ.बो. का चयन उचित सावधानी और विचार के साथ करें।

1.16 चयनित अभ्यर्थियों को को जहां भी तय होगा, प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान सिर्फ़ स्टाइपेंड दिया जाएगा।

1.17 चयनित अभ्यर्थी, जो अंतिम रूप से नियुक्त होंगे, प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.18 चयनित अभ्यर्थियों को रेल/पद में कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यकतानुसार सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।

1.19 रे.भ.बो. की चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई त्रुटि/मुद्रण संबंधी गलती की स्थिति में, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, जिसमें पैनल-गठन पश्चात भी शामिल है, रेल में अभ्यर्थी की नियुक्ति के बाद भी, परिणामों को रद्द/संशोधित करने का अधिकार रे.भ.बो. सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, रे.भ.बो. ऐसे अभ्यर्थियों को चयन पैनल से हटाने और रेल से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि वे पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, तो उन्हें रेल सेवा से हटाया जा सकता है।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

1.20 **निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा**: निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा: केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को (**अनुरोध करने पर**) निःशुल्क स्लीपर क्लास रेल पास दिया जाएगा। चयन के विभिन्न चरणों, जैसे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी/डीवी/चिकित्सा परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर के साथ उन्हें उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
रेल आरक्षण और यात्रा करते समय, अभ्यर्थी की वास्तविकता के सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेल कर्मचारी को मूल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना भी शामिल है।

1.21 **रे.भ.बो. को किसी भी स्तर पर आवश्यकतानुसार और लागू होने पर सीईएन के तहत भर्ती के किसी भी नियम व शर्त को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।**

1.22 रे.भ.बो.,अभ्यर्थियों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ अपनी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/अस्वीकृति दर्शानी चाहिए।

1.23 **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है** कि वे अपने हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और **अंतिम समय में किसी भी तरह की भीड़ से बचें।** अंतिम दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक होने की संभावना के कारण यह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

ईमेल : rrb.help@csc.gov.in

फोन: 9592001188 / 0172-565-3333

यदि अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अंतिम तिथि तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए रे.भ.बो. जिम्मेदार नहीं होगा।

2.0 **<u>रिक्तियाँ:</u>** कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियाँ रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं (तदनुसार संशोधित रिक्ति तालिका प्रकाशित की जाएगी)। विभिन्न पदों के पदवार मानदंड (अर्थात् योग्यता, चिकित्सा मानक और दिव्यांगजनों के लिए पद की उपयुक्तता आदि) इस सीईएन में अनुलग्नक-A में दिए गए हैं और आरआरबी-वार, रेलवे/ पीयू-वार एवं पदवार रिक्ति विवरण अनुलग्नक-B में दिए गए हैं।

3.0 **चिकित्सा योग्यता के मानक**: डीवी के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षण पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने द्वारा चुने गए (पदों) से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेल सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा योग्यता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं को नीचे रेखांकित किया गया है:

क्र.सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि तीक्ष्णता
1	ए-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/9, बिना चश्मे के 6/9 (कोई फॉगिंग परीक्षण नहीं)। निकट दृष्टि: Sn 0.6, बिना चश्मे के 0.6 और रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और निकट दृष्टि परीक्षण पास करना होगा
2	बी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि: चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 6/9, 6/12 (लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए)। निकट दृष्टि: पढ़ते या नज़दीक से काम करते समय चश्मे के

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

			साथ या बिना चश्मे के Sn 0.6, 0.6 और दृष्टि क्षेत्र (दूरबीन दृष्टि) आदि के लिए परीक्षण पास करना आवश्यक है
3	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/12, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के शून्य। निकट दृष्टि: पढ़ने या नज़दीक से काम करने की आवश्यकता होने पर चश्मे के साथ या बिना चश्मे के संयुक्त Sn 0.6

नोट:

(ए) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से अभ्यर्थियों पर लागू होते हैं। अभ्यर्थियों को भारतीय रेल मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम(आईआरएमएम)- भाग I के अध्याय 5(और संशोधन,यदि हो) को पढ़ने की सलाह दी जाती है जिसे **www.indianrailways.gov.in** पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं।

(बी) जिन अभ्यर्थियों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे इस सीईएन में ए-2, के चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं हैं।

(सी) जिन अभ्यर्थियों ने रिफ्रेक्टरी दोष को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या किसी अन्य सर्जरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वे रेलवे बोर्ड के पत्र 2022/एच/5/1/एनईआर/दलबीर दिनांक 25.08.2022 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मेडिकल मानक बी-2, सी-2 वाले पद के लिए पात्र हैं। [अनुलग्नक - VIIA]।

(डी) भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 511 (7) में वर्णित दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सा मानक, जिसे www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVolII/chapter5.pdf पर देखा जा सकता है।

(ई) भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक भिन्न हैं, जिन्हें भारतीय रेल मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 में www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

(एफ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे अपने द्वारा चुने गए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित चिकित्सा योग्यता/मानक में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसे उस पद के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक नियुक्ति भी प्रदान नहीं की जाएगी ।

(जी) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान पद के लिए आवश्यक चिकित्सा मानक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे निर्धारित शुल्क और शर्तों के भुगतान पर चिकित्सा अपील करने का एक अंतिम अवसर दिया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प चुना है, उनके चिकित्सा परीक्षण का परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होगा। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है, उनके प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण के परिणाम पर ही विचार किया जाएगा।

4.0 **राष्ट्रीयता/ नागरिकता:**

(a) अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक होना चाहिए:

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल का प्रजा हो, या

(iii) भूटान का प्रजा हो, या

(iv) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास कर आया हो।

(v) बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii) और (iv) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(b) जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी ।

5.0 **आयु सीमा: रिक्ति तालिका में किसी विशेष पद के लिए दर्शाई गई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01.01.2027 के अनुसार की जाएगी।**

5.1 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

क्रम सं.	आयु वर्ग (वर्षों में)	निम्न आयु सीमा 01.01.2027 को (पश्चात जन्मतिथि अमान्य)	ऊपरी आयु सीमा 01.01.2027 को (पूर्व की जन्मतिथि अमान्य)		
		सभी समुदायों/श्रेणियों के लिए	UR/EWS	OBC-NCL	SC/ST
1	18-33	01.01.2009	02.01.1994	02.01.1991	02.01.1989

5.2 **आयु सीमा में छुटः**- नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू है।

क्र. सं.	समुदाय / श्रेणी		ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी		5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) अभ्यर्थी		3 वर्ष
3	पूर्व सैनिक (एक्स सर्विसमैन) अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद कम से कम छह माह की निरंतर सेवा पूरी कर ली है	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस)	3 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी-एनसीएल)	6 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		भूतपूर्व सैनिक (अजा एवं अजजा)	8 वर्ष (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
4	बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	पीडब्ल्यूबीडी - अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	10 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी - ओबीसी (एनसीएल)	13 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी - अजा एवं अजजा	15 वर्ष
5	वे अभ्यर्थी जो रेल में ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत हैं, साथ ही ऐसे स्थानापन्न भी हैं जिन्होंने रेल में लगातार या खंडित अवधि में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है।	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	43 वर्ष की आयु
		अजा एवं अजजा	45 वर्ष की आयु
6	अभ्यर्थी जो रेल संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेल कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत है		प्रदान की गई सेवा अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो।
7	महिला अभ्यर्थी, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	38 वर्ष की आयु
		अजा एवं अजजा	40 वर्ष की आयु
i)	यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (**संचयी नहीं**)।		

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

ii) अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन –क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों को कोई आयु छूट नहीं मिलेगी।

iii) अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी - उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।

iv) पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक(एक्स सर्विसमैन) अभ्यर्थियों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.2 के अनुसार दी जाएगी

5.3

महत्वपूर्ण: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि उनके एसएससी/एसएसएलसी/ मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा पास या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि के समान होनी चाहिए। जन्म तिथि में बदलाव के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर **अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर देगा।**

6.0 **शैक्षणिक योग्यता** :

(ए) कृपया निर्धारित योग्यताओं के लिए पद-वार पैरामीटर (अनुलग्नक-ए) देखें।

(बी) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सीईएन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए।

(सी) जो अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, **उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**

नोट: शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों जैसे कि प्रोविजनल या नियमित प्रमाणपत्रों में जारी करने की तिथि होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तिथि अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तिथि के साथ समेकित अंक पत्र या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तिथि के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की अलग-अलग अंक पत्रक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तिथि उपलब्ध नहीं है, तो इस आशय का बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.0 **परीक्षा शुल्क**: अभ्यर्थियों को अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्र.सं.	अभ्यर्थियों के समुदाय / श्रेणियाँ	शुल्क
1	सभी अभ्यर्थियों के लिए (क्रमांक 2 में नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। 500/- रुपये के इस शुल्क में से, **प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर**, बैंक शुल्क काटकर 400/- रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी।	रू.**500/-**
2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए। (**अभ्यर्थियों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, ईबीसी प्रमाण पत्र को कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के साथ भी भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए**) 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा।	रू.**250/-**
नोट: केवल प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी।		

***ईबीसी श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**: कृपया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(ईबीसी) श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने से पहले इस सीईएन के पैरा 7.3 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले अभ्यर्थियों के पास **आवेदन भरते समय** वैध दस्तावेज - जैसे ईबीसी प्रमाणपत्र **(अनुलग्नक III ए)** या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रासंगिक विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय उन्हें मूल रूप में जमा करना होगा।

ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IIIA), बीपीएल कार्ड, या इज्जत एमएसटी या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी जो एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं- यानी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IIIA), बीपीएल कार्ड, या इज्जत एमएसटी इस सीईएन के खिलाफ आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी किया गया है, अस्वीकार किया जा सकता है।

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

ए) केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे।

बी) अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

सी) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 **अल्पसंख्यकों** में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त संशोधन/हटाने/समावेश के अधीन होंगे।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को (**अनुलग्नक IV)** के प्रारूप में डीवी के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी **निरस्त किये जाने योग्य है।**

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के अभ्यर्थी वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं **(ऊपर पैरा 7.0 के अनुसार)।** इसके लिए उनके पास होना चाहिए।

ए) जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक IIIए के अनुसार**) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
(2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के वर्तमान संसद सदस्य
(3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
(4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री।

या

बी) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

या

सी) रेल द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।

सभी ईबीसी अभ्यर्थी जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड / इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरना चाहिए और इसे डीवी के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का अभ्यर्थी केवल शुल्क में छूट का हकदार है, नौकरी में आरक्षण का नहीं। EBC सर्टिफिकेट को कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए अत्याधिक पिछड़ा श्रेणी प्रमाणपत्र के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):

ए) परीक्षा शुल्क की वापसी (जहां भी लागू हो, बैंक चार्ज काटकर) अभ्यर्थी के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाता में की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, अभ्यर्थी को अपना आधार नंबर सत्यापित करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आधार से पहले से जुड़ा बैंक खाता पुष्टि के लिए अपने आप दिखाई देगा, जिसका प्रयोग शुल्क वापसी के लिए किया जाएगा। अगर कोई बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है, तो कैंडिडेट को रियल-टाइम आधार-बैंक अकाउंट लिंकिंग के लिए NPCI पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा और उसके बाद, प्रक्रिया पूरा करने के लिए एप्लीकेशन पेज पर वापस भेज दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट का बैंक अकाउंट नहीं है, वे ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार, परिवार के किसी सदस्य का आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट दे सकते हैं।

बी) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अपूर्ण है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनका आवेदन अस्वीकृत हो गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।.

सी) आधार से जुड़े वैध और चालू बैंक खाता को लिंक करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से अभ्यर्थी की होगी। आर.आर.बी. गलत, अवैध या चालू न होने वाले बैंक खाता लिंकेज से होने वाले किसी भी पत्र-व्यवहार या दावा पर विचार नहीं करेगा।

डी) यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है या अभ्यर्थी का आधार से जुड़ा बैंक खाता चालू नहीं पाया जाता है, तो परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 **लंबवत आरक्षण:**

8.1 यह केंद्रीय रोजगार सूचना (CEN) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) (OBC-NCL) के लिए लंबवत आरक्षण प्रदान करती है, जहाँ भी लागू और स्वीकार्य हो, और जैसा कि मौजूदा नियमों के तहत इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। (रिक्तियों की तालिका में विवरण देखें,अनुलग्नक बी)

नोट:

- **आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं हैं बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं।**
- **ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल अभ्यर्थी जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, नौकरी आरक्षण के लिए पात्र हैं।**
- **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के अभ्यर्थी (उपरोक्त पैरा 7.3 के तहत परिभाषित) इस आधार पर नौकरी में आरक्षण के हकदार नहीं हैं।**

8.2 सभी अभ्यर्थियों, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, को सामान्य अर्थात अनारक्षित (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (अनारक्षित के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियाँ केवल उसी समुदाय/श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएँगी। **केवल वे समुदाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के लिए पात्र हैं।**

8.3 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा **अनुलग्नक I** (एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए), **अनुलग्नक II** (ओबीसी-एनसीएल अभ्यर्थियों के लिए) और **अनुलग्नक III** (ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए) में दिए गए प्रारूपों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.4 **"क्रीमी लेयर" में आने वाले ओबीसी अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।** उन्हें अनारक्षित (अनारक्षित) अभ्यर्थी माना जा सकता है, बशर्ते कि वे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

8.5 "ओबीसी श्रेणी" के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक II**) में **01 अप्रैल, 2026** को या उसके बाद जारी किया गया ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पश्चात नहीं। प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की जानी चाहिए। ओबीसी अभ्यर्थी की जाति ओबीसी की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची **(http://www.ncbc.nic.in**) में सूचीबद्ध होनी चाहिए।

दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी अभ्यर्थी को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अनुलग्नक ।।ए में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी देनी होगी, जिसमें कहा गया हो कि वे "आवेदन की अंतिम तिथि तक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं"। ऐसा न करने पर उनका आरक्षण का दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उन्हें अनारक्षित (UR) अभ्यर्थियों के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि वे UR अभ्यर्थियों पर लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

8.6 ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(निवास) द्वारा संशोधित*" (*इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कोई और संशोधन, यदि कोई हो)।

8.7 **कृपया ध्यान दें:** राज्य सूची में मौजूद ओबीसी, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं (**http://www.ncbc.nic.in** पर नवीनतम सूची के अनुसार) आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

8.8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1052/2021, सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच, दिनांक 21.02.2022 के के आलोक में, वे अभ्यर्थी जो (ए) मूल रूप से **लोहार/लोहारा/लोहरा** जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपनी नवीनतम जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनी चाहिए (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म-।। के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-। के अनुसार है या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- V।।ए के संदर्भ में सीईएन के **अनुलग्नक-II** के अनुसार है) जमा करनी चाहिए जो 01.04.2023 के बाद ही जारी की गई हो और साथ ही यह आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य होनी चाहिए।

8.9 डॉ भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दिनांक 15.07.2024 का निर्णय, जिन अभ्यर्थियों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का समुदाय प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से **पान/पनहर/स्वासी/तांती-तंतवा (तांती-तंतवा)** जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या केवल

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, जिसमें उनके समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ दिया गया हो। उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय 01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा।

8.10 **महत्वपूर्ण:** किसी अभ्यर्थी की ऑनलाइन आवेदन में घोषित समुदाय या श्रेणी की स्थिति, आरक्षण लाभों के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करेगी। किसी भी कारण से समुदाय की स्थिति में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।

8.11 यह सुनिश्चित करना अभ्यर्थियों की ज़िम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उसके लिए वे पात्र हैं। उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं हो जाती।

8.12 अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में और पोस्टिंग के दौरान / बाद में एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस स्थिति का कोई धोखाधड़ी का दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाइयों से सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से स्थायी प्रतिबंध लग जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

8.13 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:**

वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। आय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। इस सीईएन संख्या 06/2026 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 होगा क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 06.11.2026 है। प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पर मान्य होना चाहिए। साथ ही, जिन अभ्यर्थियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या जिनके परिवार का स्वामित्व ऐसी किसी संपत्ति पर है, उन्हें पारिवारिक आय के बावजूद ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:

i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;

ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के रूप में

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

स्वीकार किया जाएगा:

ए) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

सी) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

डी) उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ई) संबंधित राज्य/ संघशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित कोई अन्य अधिकारी

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण:

9.1 यह सीईएन पूर्व सैनिकों (एक्सएसएम) और पीडब्ल्यूबीडी के लिए चाहे वे किसी भी समुधाय से हो, क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।

9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, जहाँ दिव्यांग के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) के रूप में अलग से दिखाया गया है, ये अतीत की बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।

9.3 भूतपूर्व सैनिक विशेष रूप से उनके लिये आरक्षित रिक्तियों के लिये पात्र हैं। यदि किसी पद के विरुद्ध इस प्रकार कि आरक्षित रिक्तियां नहीं हैं तो,वे किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

9.4 इसी प्रकार, दिव्यांग अभ्यर्थी किसी पद की नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही उस पद के लिए उनके लिए कोई विशेष रिक्तियाँ आरक्षित न हों, बशर्ते कि वह पद उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त हो। ऐसे मामलों में, वे केवल आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए ही पात्र रहेंगे।

9.5 यदि दिव्यांगता की उस श्रेणी के तहत उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से दिव्यांग(PwBD) के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

9.6 **नोट**: हालाँकि, इस सीईएन में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट दिव्यांगता वाले PwBD अभ्यर्थी (जिनके लिए बैकलॉग रिक्तियां निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य दिव्यांगता वाले PwBD अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है, जिनके लिए पद उपयुक्त हो। इसके बाद, किसी भी तरह के दिव्यांगता वाले दिव्यांग अभ्यर्थी (जिसके लिए पद उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है) की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के क्रम में उस सीमा तक नियमित (गैर-दिव्यांग) अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

10.0 भूतपूर्व सैनिक

10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल सेवा की हो।

और

ए) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है, चाहे वह उसके स्वयं के अनुरोध पर हो या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;(या)

बी) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)

सी) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

डी) जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और जिसे ग्रेच्युटी दी गई हो और जिसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सेवा या योग्यता सेवा के खंडित अवधि के लिए पेंशन धारक; (या)

इ) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं उनके नियंत्रण से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई; (या)

एफ) वे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह माह से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; (या)

जी) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)

एच) चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व भर्ती कर्मी जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो जाते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए ,दोनों पदों के लिए। यदि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात, दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, उनके पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ होनी चाहिए।

- जब आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से चयन प्रक्रिया में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्राप्त की है। दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

10.3 सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाण पत्र" जमा करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अलावा, पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10.4 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग'/पूर्ववर्ती समूह 'घ' में उच्च ग्रेड या संवर्ग में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में केवल छूट का लाभ मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी आगामी नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होते ही, इस CEN के अंतर्गत आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र दे। इस घोषणा की पावती प्रति, सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

10.6 भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे **www.indianrailways.gov.in** पर देखा जा सकता है।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) :

11.1 प्रत्येक पद के सामने, “मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता” कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को दर्शाया गया है, जिसमें पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में उप दिव्यांगता का विवरण दिया गया है।

मानक (बेंचमार्क) दिव्यांगता:- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 (19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी) के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगताएं निम्नानुसार हैं:-

(ए) अंधापन और कम दृष्टि (वीआई);

(बी) बधिर और कम सुनने की क्षमता (एचआई);

(सी) मस्तिष्क पक्षाघात(एलडी), ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता;

(डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

(ई) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगताएं (एमडी)।

11.2 **विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा इस प्रकार है:

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

1. **शारीरिक अक्षमता**:

अ) **गति-संबंधी अक्षमता** (किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के विकार के कारण होती है), जिसमें शामिल हैं—

(ए) "**कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है—

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही वृद्धावस्था जो उसे कोई भी लाभदायक व्यवसाय करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग से मुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(बी) "**सेरेब्रल पाल्सी**" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है;

(सी) "**बौनापन**" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(डी) "**मांसपेशी दुर्बलता**" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन सूचना का अभाव और गलत जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसकी विशेषता प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है।

(ई) "**एसिड अटैक पीड़ित**" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(एफ) **रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी)** और **रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई)** बिना किसी तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के, लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत दिव्यांगता की सभी उप-श्रेणियों के लिए उपयुक्त हैं। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति जिनके साथ अंग संबंधी शिथिलता है, उन्हें लोकोमोटर दिव्यांगता की संबंधित उप-श्रेणी के अंतर्गत कवर किया जाएगा, अर्थात ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए, जैसा भी मामला हो।

ब) **दृष्टि क्षीणता** -

(ए) "**अंधापन**" का अर्थ ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

(ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; या

(iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है।

(बी) "**कम दृष्टि**" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्: -

(i) बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम या 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक हो, जिसमें सर्वोत्तम संभव सुधार हो; या

(ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक का कोण बनाती हो।

स) **श्रवण बाधिता-**

(ए) "**बधिर**" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि है;

(बी) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता में कमी हो।

द) "**) 'वाक् और भाषा अक्षमता**'का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिस में गला संबंधी लार्यनजेक्टोमी या स्वरलोप जैसी

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक दिव्यांगता**, एक ऐसी स्थिति जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता रखती है, जो दैनिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को कवर करती है,
जिसमें शामिल हैं-

(अ) "**विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता**" का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात;

(ब) **"ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार"** का अर्थ है एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

3. **मानसिक व्यवहार**—"**मानसिक बीमारी**" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक गंभीर विकार। जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता।

4. दिव्यांगता के कारण -

(अ) दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, जैसे -

(i) "**मल्टीपल स्क्लेरोसिस**" का अर्थ है एक सूजनयुक्त, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर स्थित माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे माइलिन का विघटन होता है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं की एक-दूसरे से संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) "**पार्किंसंस रोग**" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, मांसपेशियों में अकड़न और धीमी, अस्पष्ट गति से चिह्नित होता है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अध:पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ा होता है।

(ब) **रक्त विकार** –

(i) "**हीमोफीलिया**" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों में संचारित होता है, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के जमने की क्षमता में कमी या कमी होती है जिससे एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) "**थैलेसीमिया**" का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

(iii) "**सिकल सेल रोग**" का अर्थ है एक रक्तसंलायी विकार जिसमें दीर्घकालिक रक्ताल्पता, दर्दनाक घटनाएँ और संबंधित ऊतक एवं अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएँ होती हैं; "रक्तसंलायी" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

5. **बहु-दिव्यांगताएँ** (उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) जिनमें बहरापन, अंधापन शामिल है, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में श्रवण और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक, और शैक्षिक समस्याएँ हो सकती हैं। बहु- दिव्यांगता (एमडी) श्रेणी के अंतर्गत, केवल व्यक्तिगत दिव्यांगताओं के संयोजन वाले अभ्यर्थी ही पद के लिए पात्र हैं जो स्वतंत्र रूप से पात्र हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वार अधिसूचित हो।

11.3 **आरक्षण के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की डिग्री और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी:** केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र होंगे जो संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (PwBD) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए हैं, उन्हें 16 अक्टूबर 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के नियम 18(1) के

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

प्रपत्र V और VI दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम(संशोधन),2024 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। । संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक V(ए), अनुलग्नक V(बी) और अनुलग्नक V(सी) देखें। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 (जिसे अब निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध बने रहेंगे।

नोट : दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 05.05.2021 की अधिसूचना S.O. 1736(E) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी (UDID) पोर्टल के ज़रिए सक्षम मेडिकल प्राधिकारी से जारी वैध दिव्यंगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। जैसा कि भारत सरकार ने 01.06.2021 से नोटिफाई किया है, दिव्यंगता प्रमाणपत्र सिर्फ़ राज्यों/संघ क्षेत्रों की नोटिफाइड सक्षम मेडिकल प्राधिकारी द्वारा UDID पोर्टल के ज़रिए जारी किए जाने हैं।

11.4 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी (पीडब्ल्यूबीडी) ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी, अर्थात् एलडी/एचआई/वीआई/ओडी/एमडी का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी में बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र, अपनी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DDIII दिनांक 04.01.2021 में दर्शाए गए दिव्यांगता/दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी, एसआई, आदि) का प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, DePwD के 17.12.2025 के OM के अनुसार, अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के तहत "सुधरने की संभावना" श्रेणी में आने वाली दिव्यांगता की स्थिति वाले अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। "प्रोग्रेसिव, नॉन-प्रोग्रेसिव या सुधरने की संभावना नहीं" कैटेगरी में आने वाली स्थिति वाले अभ्यर्थी को आरक्षण के लिए पात्र माना जाएगा।

11.5 चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के समय रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और केवल वे ही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप हों।

11.6 जब रिक्तियाँ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हों और दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक श्रेणी, जैसे कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-असहाय वर्ग, के न्यूनतम अर्हक प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण पैनल नहीं बनाया जा सकता है, तो समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों में 2 अंक तक की छूट दी जाएगी।

11.7 **स्क्राइब की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश :**

11.7.1 दृष्टिहीनता, गति-संचालन दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - BA) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

11.7.2 मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा की अनुमति किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(सी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

नोट : (i) पूर्णतः भरे और हस्ताक्षर किए हुए अनुलग्नक V(सी) और V(एफ) के बिना, अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त समय या स्क्राइब नहीं दिया जाएगा।

(ii) प्रमाणपत्र संबंधित स्ट्रीम/विकलांगता के स्पेशलिस्ट (जैसे, देखने में दिक्कत - ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, चलने-फिरने में दिक्कत-ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट/ PMR) द्वारा दिया जाना चाहिए।

(iii) जांच के लिए मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा और परीक्षा के दिन स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(iv) डीवी के समय मूल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

11.7.3 40% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भी अनुलग्नक V(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(ई) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद परीक्षा केंद्र पर अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

नोट : (i) पूर्णतः भरे और हस्ताक्षर किए हुए अनुलग्नक V(डी) और V(ई) के बिना, अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त समय या स्क्राइब नहीं दिया जाएगा।

(ii) जांच के लिए मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा और परीक्षा के दिन स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।

(iii) डीवी के समय मूल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

(iv) प्रमाणपत्र न्यूनतम तीन चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए :

(1) आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ

(2) नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक और

(3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष के रूप में

इसके अलावा, सर्टिफ़िकेशन के लिए चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर/सिविल सर्जन/चीफ़ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफ़िसर, पास के जिला या मेडिकल कॉलेज/इंस्टीट्यूट से न्यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को शामिल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, अगर जिला में ये उपलब्ध नहीं हैं।

11.7.4 सभी एक-आंख वाले अभ्यर्थी और जिन अभ्यर्थियों की दृश्य दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

11.7.5 उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 या 11.7.3 के तहत स्क्राइब के लिए पात्र अभ्यर्थी और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।

11.7.6 पात्र स्क्राइब को अपने खर्चे पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

11.7.7 जिन अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है:

a) यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ पंजीकृत है (कृपया स्क्राइब के पंजीकरण से संबंधित पैरा 11.7.8 देखें)

b) संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध 5-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग ऑन करें, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

c) अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

d) स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।

11.7.8 स्क्राइब के लिए पंजीकरण:

a) **कोई भी व्यक्ति जो स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे आरआरबी के साथ rrbapply.gov.in पर एक खाता बनाना होगा और अपने खाते के विवरण का उपयोग करके वहां स्वयं को स्क्राइब के रूप में पंजीकृत करना होगा**। सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (ओटीआर नंबर) जेनरेट की जाएगी और इसे स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।

b) जो अभ्यर्थी उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

प्रदान की जाने वाली पाँच दिवसीय अवधि के दौरान अपना स्क्राइब विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

c) अभ्यर्थी के साथ आने वाले स्क्राइब को एक अलग ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान प्रमाण साथ लाना होगा।

11.7.9 किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले स्क्राइब के लिए पात्र अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

ए) कोई भी अभ्यर्थी जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य है/हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य नहीं है, और ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को, यदि वह पहले से ही रेल सेवा में शामिल हो चुका है, बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

बी) कोई भी व्यक्ति rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ स्क्राइब के रूप में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य करेगा/करेगी।

सी) एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों को सहायता नहीं देगा/देगी।

डी) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी सीईएन में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता/सकती। स्क्राइब और अभ्यर्थी दोनों को इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने उसी परीक्षा के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य अभ्यर्थी की सहायता की है, तो दोनों अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ई) अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।

एफ) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही हो। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाया है और स्क्राइब प्रतिरूपणकर्ता पाया जाता है और/या स्क्राइब या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

जी) परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा लाए गए स्क्राइब के किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

एच) परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है/हल कर रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्राइब की सेवाएँ ले रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।

आई) **परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब का परिवर्तन:--**

- परीक्षा स्थल पर स्क्राइब के परिवर्तन की सामान्यतः अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, विधिवत कारण दर्ज करके परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। नए स्क्राइब को रे.भ.बो. में स्क्राइब के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) प्रिंटआउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 11.7.9 के तहत स्क्राइब के लिए लागू अन्य सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। अभ्यर्थियों को "स्क्राइब परिवर्तन" फॉर्म और 'स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

- यदि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो रे.भ.बो. अपने विवेक से एक स्क्राइब नियुक्त कर सकता है, बशर्ते अभ्यर्थी अभी भी स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। रे.भ.बो. द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होगी।

11.7.10. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र अभ्यर्थी, यदि चाहें तो स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

a) उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट अनुसार, स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

b) पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अभ्यर्थी, जो स्क्राइब के उपयोग के पात्र हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जा सकता है, यदि वे चाहें।

11.7.11. स्क्राइब की नियुक्ति संबंधी शर्तें, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी):

रेल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे अभ्यर्थियों सहित) अभ्यर्थी अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे रे.भ.बो. को आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उस समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना अभ्यर्थी की पूर्णतः जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

नोट: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि संबंधित रे.भ.बो. को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने/उसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

(ए) अभ्यर्थी को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से मात्र एक ऑनलाइन आवर्डन जमा करना होगा। अभ्यर्थी सिर्फ़ एक आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं, एक बार आरआरबी का चयन हो जाने पर वह अंतिम होगा। एक अभ्यर्थी के एक से ज़्यादा आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त हो जाएंगें और उसे आगे की सभी आरआरबी और आरआरस परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा।

(बी) भर्ती प्रक्रिया में प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी), द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) और दस्तावेज़ सत्यापन / चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। चयन उपर्युक्त भर्ती चरणों के आधार पर योग्यता के अनुसार सख्ती से किया जाता है। हालांकि, आरआरबी अतिरिक्त सीबीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो सभी के लिए या सीमित संख्या में अभ्यर्थियों के लिए जैसा कि आरआरबी द्वारा फिट समझा जा सकता है।

(सी) सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट (लेवल 5) और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट (लेवल 5) के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) को CEN नंबर 06/2026 के लिए हटा दिया गया है। अभ्यर्थियों से अभी भी बुनियादी कंप्यूटर दक्षता होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

कंप्यूटर का उपयोग करके पर्याप्त टाइपिंग दक्षता भी शामिल है। इस संबंध में उनकी दक्षता का मूल्यांकन कार्यग्रहण करने के बाद किया जाएगा, और असंतोषजनक प्रदर्शन उनकी पुष्टि या पदोन्नति को प्रभावित/विलंबित कर सकता है।

(डी) सभी गतिविधियों जैसे सीबीटी, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा या अन्य कोई भी अतिरिक्त गतिविधि, की तिथि, समय और स्थान रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और पात्र अभ्यर्थियों को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस और/या ईमेल से अलग-अलग आरआरबी के आधिकारिक वेबपेज के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी गतिविधि को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :-

i . अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें इसे परीक्षा परिसर के अंदर नहीं लाना चाहिए। यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या वायरलेस संचार का कोई अन्य साधन चालू या बंद मोड में पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई के अलावा उसे रे.भ.बो. परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

ii . अभ्यर्थियों को रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक से शहर और तारीख की सूचनाएं, ई-कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

iii ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से परिचित होने के लिए अभ्यर्थियों को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर मॉक/अभ्यास परीक्षण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

13.1 प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) - इस सीईएन 06/2026 के सभी अधिसूचित पदों के लिए सामान्य

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	40	30	30	100

(पीडब्ल्यूबीडी/पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी जो स्क्राइब के उपयोग के लिए पात्र हैं।)

उपर्युक्त तालिका में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। **वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।**

प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा स्क्रीनिंग प्रकृति की होगी और सीबीटी के प्रश्नों का स्तर सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार चयन हेतु किया जाएगा। **वे अभ्यर्थी जो ओबीसी (एनसीएल)/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभों का लाभ उठाते हुए द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों के लिए केवल ओबीसी (एनसीएल)/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के लिए ही पात्र माना जाएगा।**

प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं:

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

b. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग),वेन आरेख, पहेली, आँकड़ा पर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

c. सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए योग्यता अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस - 40%, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) -30%, अनुसूचित जाति -30%, अनुसूचित जनजाति -25%। यह पूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उनके समुदाय के अनुसार भी लागू होता है। पात्रता के लिए योग्यता अंकों के इन प्रतिशत को पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों की कमी के मामले में 2 अंकों से छूट दी जा सकती है।

13.2 द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा :

द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रथम चरण की सीबीटी में उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।

शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या प्रथम चरण की सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार आरआरबी के लिए अधिसूचित पदों की समुदायवार रिक्तियों का 15 गुना होगी। हालाँकि, रेलवे सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कुल या किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए इस सीमा को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.2.1 द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए परीक्षा अवधि तथा प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है:

परीक्षा अवधि मिनट में	**प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से**			**प्रश्नों की कुल संख्या**
	सामान्य जागरूकता	गणित	सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	
90	50	35	35	120

(पीडब्ल्यूबीडी/पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी जो स्क्राइब के उपयोग के लिए पात्र हैं।)

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। **नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।**

प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

a. गणित:

अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

b. सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग),वेन आरेख, पहेली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

c. सामान्य जागरूकता:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं सीबीएसई तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत (विशेष) सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

13.2.2 विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए योग्यता अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: अनारक्षित -40%, ईडब्ल्यूएस - 40%, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)-30%, अनुसूचित जाति-30%, अनुसूचित जनजाति -25%। यह पूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उनके समुदाय के अनुसार भी लागू होता है। पात्रता के लिए योग्यता अंकों के इन प्रतिशत में पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों की कमी के मामले में 2 अंकों की छूट दी जा सकती है।

13.2.3 द्वितीय चरण की सीबीटी में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग करने हेतु किया जाएगा।

13.2.4 **अंकों का सामान्यीकरण:** जब भी समान पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में सीबीटी आयोजित की जाती है, तो विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।.

13.3 दस्तावेज़ सत्यापन और पैनलीकरण:

(a) दस्तावेज़ सत्यापन और पैनलीकरण के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता के आधार पर सख्ती से की जाएगी, जो उनके समुदायों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने के अधीन होगी। अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक 40%, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), एससी 30% और एसटी 25% है। यह पूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर भी उनके समुदाय के अनुसार लागू होता है। यदि पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों की छूट दी जाएगी।

(b) सीबीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन (1:1) के लिए बुलाया जाएगा।

(c) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात, बड़े अभ्यर्थी को छोटे अभ्यर्थी की तुलना में उच्च योग्यता दी जाएगी और यदि आयु समान है, तो दिए गए नाम (उपनाम नहीं) के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) को टाई तोड़ने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(d) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।

(e) अभ्यर्थियों का पैनल योग्यता के आधार पर होगा और दस्तावेज़ सत्यापन के सफल समापन और निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगा।

(f) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रेल प्रशासन/रे.भ.बो. द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।

(g) भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, रे.भ.बो. योग्य अभ्यर्थियों की पसंद के अनुसार, योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के अधीन, रेल ज़ोन/उत्पादन इकाई आवंटित करेगा। एक बार अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार पैनल में शामिल कर लिया जाता है, तो वे अगले प्राथमिकता वाले ज़ोन/यूनिट में अपनी वरीयता के लिए विचार किए जाने के अधिकार को खो देंगे। हालाँकि, रे.भ.बो. प्रशासनिक हित में, अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, अभ्यर्थी द्वारा चुने गए/न चुने गए रेल ज़ोन/यूनिट आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

(h) कृपया अभ्यर्थियों को ध्यान देना होगा कि रेल भर्ती बोर्ड केवल संबंधित रेल प्रशासन पैनल में शामिल अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश करता है। नियुक्ति का ऑफर सिर्फ़ संबंधित रेलवे प्रशासन ही जारी करते हैं।

(i) पैनल में किसी भी कमी या अन्य अनिवार्यताओं की स्थिति में, रे.भ.बो. को आवश्यकता पड़ने पर, योग्यता सूची में नीचे के अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। हालाँकि, इससे ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलेगा।

14.0 आवेदन कैसे करें:

14.1	गलतियों से बचने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
14.2	**खाता बनाएं**
14.2.1	**रे.भ.बो. के साथ खाता बनाएं** • अभ्यर्थियों को पहले एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से इस सीईएन के लिए 'एक खाता बनाना होगा'। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही पिछले रे.भ.बो. सीईएन के लिए खाता बना लिया है, उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए https://www.rrbapply.gov.in लिंक का उपयोग करके उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। • खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए। • 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। • इसलिए, अभ्यर्थियों को सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से दर्ज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाता बनाने के बाद किसी भी सुधार या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14.2.2	पहचान प्रमाणीकरण सलाह • अभ्यर्थियों को उनके हित में, "खाता बनाएँ" प्रक्रिया के दौरान डिजी लॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। • ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सत्यापन आसान और तेज़ हो जाएगा।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

	• कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना चुनते हैं, उनकी भर्ती के प्रत्येक चरण में काफ़ी कड़ी और विस्तृत जाँच की जाएगी।
14.3	**ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश**
	a) अभ्यर्थियों को इस सीईएन के लिए आवेदन करने हेतु केवल एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करना होगा। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। b) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी और जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना होगा। c) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। (अतिरिक्त शुल्क देकर एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन विंडो के दौरान को छोड़कर)। d) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक माध्यम से अपना परीक्षा माध्यम चुनना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएँगे। e) **चयनित आरआरबी के तहत पोस्ट(ज़ोन) प्राथमिकता का क्रम :** अभ्यर्थी को उन अधिसूचित पदों के लिए पोस्ट(ज़ोन) प्राथमिकता का क्रम देना होगा जिनके लिए अभ्यर्थी योग्य व इच्छुक है। f) विभिन्न रे.भ.बो. या एक ही रे.भ.बो. में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे। इस सीईएन के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सभी आरआरबी व आरआरसी भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। g) आवेदन जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को **पैरा 7.1** में बताए गए **परीक्षा शुल्क भुगतान के तरीके** को चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। महत्वपूर्ण: कृपया इस सीईएन के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के लिए भुगतान के तरीके की प्रामाणिकता और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें। h) अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।
14.4	**आवेदन के दौरान अभ्यर्थी की लाइव फोटो कैप्चरिंग**
	आवेदन के दौरान अभ्यर्थी की लाइव तस्वीर लेने के निर्देश: a) अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। b) आवेदन मॉड्यूल आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। c) लाइव तस्वीर वेबकैम या मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से ली जा सकती है। d) लाइव फोटो बिना किसी दृश्य, पौधों/मानव या जानवरों की तस्वीर के बिना शुद्ध सादे सफेद पृष्ठभूमि के साथ ली जानी चाहिए। अभ्यर्थी को कंधों और छाती को ढकने के लिए उचित पोशाक पहननी चाहिए। पृष्ठभूमि के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए, अधिमानतः सादे गहरे रंग के कपड़े पहनना सुनिश्चित करें e) इस उद्देश्य के लिए, अभ्यर्थी को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए: • तस्वीर लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर स्थित हो।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

	• कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएँ और तटस्थ भाव से सीधे आगे देखें। • सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो। • सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा न तो कैमरे के बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा चित्रित फ्रेम के बाहर नहीं है। सुनिश्चित करें कि सिर का हिस्सा फोटो के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50% हिस्सा होना चाहिए। फोटो में कोहनी, कोहनी के नीचे और छाती के नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए। • फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा/चश्मा न पहनें। पूरा चेहरा बाल/कपड़े/मास्क/किसी भी आवरण के बिना दिखाई देना चाहिए। चेहरा बिना छाया के या अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि पर बिना किसी अत्यधिक प्रकाश के स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कैप्चर की गई तस्वीर उचित रिज़ॉल्यूशन, तीक्ष्णता और चमक की होनी चाहिए। • अभ्यर्थी अपनी ली गई फ़ोटो का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे छवि से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे तब तक दोबारा ले सकते हैं जब तक उनका आवेदन जमा न हो जाए। • इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली तस्वीरों वाले आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा । • भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से मेल खानी चाहिए। • आंखें पूरी तरह से खुली होनी चाहिए, अन्यथा फोटो कैप्चर नहीं की जाएगी। बंद आंखों वाली तस्वीर अस्वीकृति कर दी जायेगी । • खींची गई लाइव तस्वीर कुछ सत्यापन और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो पहचान प्रमाण के संबंध में मिलान के अधीन है। यदि मेल नहीं खाता है, तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से अनुलग्नक VIII (उपयुक्त घोषणाओं की पुष्टि करने के बाद) डाउनलोड करना होगा, और इसे अपलोड करने की आवश्यकता है, पहचान के वैध प्रमाण के रूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है। **महत्वपूर्ण नोट**: 1. अभ्यर्थियों को पहले से मौजूद मुद्रित या डिजिटल तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी तस्वीर जमा करने पर आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। 2. पोर्टल में बेंचमार्क दिव्यांग लोगों के लिए सही छूट दी गई है, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं।
14.5	**ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने के लिए अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़ तैयार रखें।**
	निम्नलिखित अपलोड करने की आवश्यकता है 1) इस सीईएन के पैरा 14.5.1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। 2) एससी/एसटी प्रमाणपत्र (मुफ़्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में।
14.5.1	**अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**: अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी: • हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी द्वारा ही लिखे जाने चाहिए। • सफेद कागज पर **काली स्याही** की कलम का प्रयोग करें। • हस्ताक्षर सीधी लिखावट (अर्थात, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षरों में) में होने चाहिए, बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों(Not in

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

capital letter) या असंबद्ध अक्षरों में नहीं। हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश:

- हस्ताक्षरित कागज़ को कम से कम 100DPI के रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें।
- इमेज फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG
- फ़ाइल आकार: 30KB और 49KB के बीच
- इमेज आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई)
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर को एप्लिकेशन फ़ॉर्म: बॉक्स पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर रखा जाना चाहिए आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई)। हस्ताक्षर छवि इस बॉक्स के भीतर केंद्रित होनी चाहिए।

<u>हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों को अस्वीकार करने के आधार:</u>

सीईएन के लिए अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन और उम्मीदवारी, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निम्नलिखित हस्ताक्षर-संबंधी आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:

- आवेदक के बजाए किसी और के हस्ताक्षर
- गैर-सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग
- हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग नहीं
- सीधी लिखावट के बजाय बड़े अक्षरों (BLOCK या CAPITAL) में हस्ताक्षर
- खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर छवि
- अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर
- हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड करना
- कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त)
- हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी हस्ताक्षर छवि भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करती है।

महत्वपूर्ण: आवेदन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए:

- परीक्षाएँ
- दस्तावेज़ सत्यापन (DV)
- चिकित्सा परीक्षा (ME)
- नियुक्ति

नोट : बेंचमार्क दिव्यंगता वाले कुछ श्रेणी के लोग, जिनकी दिव्यंगता के कारण वे हस्ताक्षर नहीं कर पाते, उन्हें नीचे दिए गए क्रम में से किसी भी एक फिंगर प्रिंट की स्कैन की हुई इमेज अपलोड करने की अनुमति है: - बाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, हाथ की कोई भी उंगली, पैर की कोई भी उंगली।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

14.5.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले अभ्यर्थियों के लिए) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विवरणों के साथ अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी: • दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए। • फ़ाइल का आकार 400 केबी से कम होना चाहिए। • प्रमाणपत्र सुपाठ्य, स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए। • यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम और मान्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।
14.5.3	**ऑनलाइन आवेदन में वर्तमान पता भरने के लिए दिशा निर्देश :** 1. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया वर्तमान पता सही और पूरा हो। 2. अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय वर्तमान पते के समर्थन में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान ऑनलाइन आवेदन में भरे गए वर्तमान पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेजी प्रमाण (किराया रसीद, किराया समझौता, बिजली बिल, बैंक पासबुक, राजपत्रित अधिकारी से पता प्रमाण पत्र आदि) का प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है। 3. जिन अभ्यर्थियों के पास अपने वर्तमान पते का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान पते को शामिल करने के लिए अपना आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान/पते के प्रमाण को अपडेट करवाएं।
14.6	**स्क्राइब की सहायता**
	i. **स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता** • दृष्टिहीनता, गति-बाधित दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - बीए), और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी श्रेणियों में मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, यदि अभ्यर्थी चाहें तो, स्क्राइब सहायता के लिए पात्र हैं। (कृपया पैरा 11.7.1 देखें) • मानक दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के लिए, स्क्राइब की सुविधा केवल किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि अभ्यर्थी के पास लिखने की कोई शारीरिक सीमा है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। (कृपया पैरा 11.7.2 देखें) अ) प्रमाण पत्र अनुलग्नक V(एफ) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए। ब) अनुबंध के अनुसार अंडरटेकिंग का पत्र अनुलग्नक V (सी) भी परीक्षा केंद्र में जमा किया जाना चाहिए नोट: (i) बिना पूर्ण रूप से भरे व हस्ताक्षरित अनुलग्नक V(एफ) व V (सी) के, कोई अतिरिक्त समय या स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। (ii) प्रमाणपत्र संबंधित विषय/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे, दृष्टिबाधित -नेत्र रोग विशेषज्ञ, गतिबाधित विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर). (iii) निरीक्षण के लिए मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा और परीक्षा के दिन स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(iv) दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

- 40% से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी (जो RPwDA अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(r) के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई हो रही है, वे भी निम्नलिखित शर्तों पर स्क्राइब सहायता प्राप्त कर सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें)

  ए) अनुलग्नक V(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करना, और

  बी) अनुलग्नक V(ई) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करना।

नोट: (i) परीक्षा के दिन बिना पूर्ण रूप से भरे व हस्ताक्षरित अनुलग्नक वी (डी) और वी (ई) के बिना, अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त समय या स्क्राइब प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ii) निरीक्षण के लिए मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा और परीक्षा के दिन स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।

(iii) दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

(iv) प्रमाणपत्र पर कम से कम तीन डॉक्टरों के साइन होने चाहिए -

(1) ऑर्थोपेडिक/PMR स्पेशलिस्ट,

(2) क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट / रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट / साइकेट्रिस्ट / स्पेशल एजुकेटर और

(3) चीफ मेडिकल ऑफिसर/सिविल सर्जन/चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर चेयरपर्सन के तौर पर

इसके अलावा, प्रमाणपत्र के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर/सिविल सर्जन/चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर पास के जिला या मेडिकल कॉलेज/इंस्टीट्यूट से न्यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को शामिल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, अगर जिला में ये उपलब्ध नहीं हैं।

- एक-आँख वाले अभ्यर्थी और 40% से कम दृष्टिबाधित अभ्यर्थी दृष्टिबाधित नहीं माने जाते।
- स्क्राइब-योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।
- स्क्राइब-योग्य अभ्यर्थियों को अपने खर्चे पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

ii. **स्क्राइब चुनने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश**

- योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना चाहिए।
- अपने खर्चे पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करें।
- यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in (पैरा 11.7.8 देखें) पर पंजीकृत हो।
- ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके और उसका एकमुश्त पंजीकरण (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को स्क्राइब की पुष्टि के लिए यह OTP दर्ज करना होगा।

नोट: किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले कृपया स्क्राइब के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने के लिए CEN का पैरा 11.7.9 पढ़ें।

iii. **स्क्राइब के लिए पंजीकरण**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

	• स्क्राइब के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, जो स्क्राइब के लिए पात्र है, रे.भ.बो. पोर्टल पर rrbapply.gov.in पर होमपेज → स्क्राइब पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। • सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर(OTR) नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। • केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति होगी। नोट: स्क्राइब को एक अलग ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय मूल और वैध आईडी प्रमाण सहित अपने साथ रखनी होगी। iv. **स्क्राइब पर लागू शर्तें** स्क्राइब के लिए पात्र अभ्यर्थियों को इन शर्तों का पालन करना होगा: ए) केवल वे ही स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। स्क्राइब का अनधिकृत उपयोग और/या प्रतिपूरक समय अयोग्यता का कारण बनेगा, और यदि पहले से नियुक्त है, तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है। बी) कोई व्यक्ति rrbapply.gov.in पर ओटीआर पंजीकरण पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है। सी) स्क्राइब एक सीईएन की परीक्षा में केवल एक अभ्यर्थी की सहायता कर सकता है। डी) कोई अभ्यर्थी उसी सीईएन में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ई) अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। एफ) अभ्यर्थी, स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए ज़िम्मेदार है। किसी भी प्रकार की प्रतिरूपण या झूठी जानकारी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। जी) स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा। एच) यदि किसी भी समय स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देते या हल करते पाया जाता है, तो अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
14.7	**भरे गये आवेदन विवरण में संशोधन**
	पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो अभ्यर्थी किसी भी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं ('खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरणों को छोड़कर) वे प्रति संशोधन ₹250 का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। • 'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और 'चुने गए रे.भ.बो.' में दर्ज विवरण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जा सकते। • संशोधन विंडो 09.11.2026 से 18.11.2026 तक खुली रहेगी। • 18.11.2026 के बाद संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएँगे। • अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सत्यापित कर लें। आवेदन में संशोधन में की विस्तृत सूचना के लिये पैरा 17.0 का संदर्भ लें।

15.0 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत कॉमन सर्विसेज सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रबंधित की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। कॉमन सर्विसेज सेंटर की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर जानने के लिए, कृपया फाइंड माई सीएससी (https://findmycsc.nic.in/csc/) का लिंक खोलें ।

16.0 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट यानी https://rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं। अभ्यर्थी एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट यानी https://rrb.indianrailways.gov.in से अलग-अलग आरआरबी के आधिकारिक वेबपेज पर नेविगेट कर सकते हैं।

(अ) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी की वैधता प्रदान करने का दायित्व अभ्यर्थियों पर होगा।

(ब) महत्वपूर्ण :

(i) **महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचना एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट द्वारा संबंधित रे.भ.बो. आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।**

(ii) हालाँकि, उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को अपनी व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल आईडी को पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना होगा, ताकि एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से संवाद भेजा जा सके।

(iii) रे.भ.बो. किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।

(iv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों तथा रे.भ.बो. के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को ध्यानपूर्वक नोट कर लें तथा याद रखें।

17.0 आवेदन में संशोधन:

ए) ऑनलाइन आवेदन के अंतिम रूप से जमा होने के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी **'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए रे.भ.बो. को छोड़कर** किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। **'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए रे.भ.बो. को बदला नहीं जा सकता है।**

बी) संशोधन शुल्क सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाना है, चाहे उनका समुदाय और श्रेणी कुछ भी हो।

सी) यदि कोई अभ्यर्थी अपना समुदाय एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बदलता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डी) इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूबीडी से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर भूतपूर्व सैनिक/गैर पीडब्ल्यूबीडी आदि में बदल रहा है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ई) ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान पर किसी भी संख्या में दी जाएगी।

एफ) इस केंद्रीय रोजगार सूचना (CEN) के लिए, जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, अर्थात 08.11.2026 (23:59 बजे) के बाद 10 (दस) दिनों तक, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और संशोधन शुल्क के भुगतान की अनुमति होगी। संशोधन विंडो 09.11.2026 से 18.11.2026 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेंगे।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

18.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

(अ) ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:

i) विभिन्न रे.भ.बो. या एक ही रे.भ.बो. में एक से अधिक आवेदन:- ऐसे मामले में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की सभी रे.भ.बो. और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

ii) अभ्यर्थी की लाइव फोटो लेने के लिए पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) 14.5 के तहत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

iv) अभ्यर्थी का नाम किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी की निषिद्ध सूची में होना।

v) कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाई जाती है।

(ब) **अस्वीकृत आवेदन**: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट https://rrb.indianrailways.gov.in पर लॉग इन करके अस्वीकृति के कारण के साथ देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों के अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डाक से सूचित नहीं किया जाएगा।

19.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

(ए) सीबीटी/डीवी शेड्यूल के बारे में जानकारी और विवरण और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक एकीकृत आरआरबी आधिकारिक वेबसाइट पर दिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों को एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। हालांकि, अभ्यर्थियों को नियमित रूप से एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर जाना चाहिए क्योंकि आरआरबी के नियंत्रण से परे कारणों से अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल के वितरण में विफलता हो सकती है।

(बी) पात्र अभ्यर्थी सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और जहां लागू हो, वहां स्क्राइब के लिए) एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट से सीबीटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।

(सी) अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।

(डी) सीबीटी/डीवी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(ई) निःशुल्क यात्रा सुविधा:- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो निःशुल्क रेल यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेल पास) होगा। ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके रेल आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यात्रा करने के लिए अपना **मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का मूल निर्धारित प्रमाण** साथ रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

(एफ) परीक्षा के दौरान, अभ्यर्थियों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं), आदि) परीक्षा हॉल में लाना होगा, अन्यथा अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(जी) सीबीटी/डीवी/एमई के दौरान, अभ्यर्थियों को एक रंगीन पासपोर्ट फोटो लाना होगा जो सीबीटी/डीवी/एमई की तारीख से दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा भी लागू हो।

चेतावनी: अभ्यर्थियों को स्व-घोषणा का पैराग्राफ़ केवल परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सीबीटी के स्थान पर लिखना होगा, हस्ताक्षर करने होंगे और एलटीआई चिपकाना होगा और परीक्षा समाप्त होने से पहले उसे पर्यवेक्षक को सौंपना होगा। स्व-घोषणा का पैराग्राफ़ पहले से लिखने और/या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करने वाले अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(**एच**) आरआरबी अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और सत्र में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

20.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

(ए) डी.वी. के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को डी.वी. के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी भी जमा करानी होंगी।

(बी) इसके अलावा, इन अभ्यर्थियों को फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपनी डीवी तिथि से पहले पोर्टल - https://oirms-ir.gov.in/rrbdv के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए।

(सी) सभी प्रमाण पत्र या तो अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। जहां प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां स्व-सत्यापित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी / जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीवी के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्रों में सख्ती से होने चाहिए। हालांकि, कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, यदि राजभाषा के अलावा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार निर्धारित प्रारूप में किसी भी अनुसूचित भाषा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस के लिए जाति/समुदाय प्रमाण पत्र जारी करती है।

(डी) दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ई) जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(एफ) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाना चाहते हैं/या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित/प्रासंगिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाएँगे। प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

(जी) शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों जैसे कि प्रोविजनल या नियमित प्रमाणपत्रों में जारी करने की तिथि होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तिथि अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तिथि के साथ समेकित अंक पत्र या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तिथि के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की अलग-अलग अंक पत्रक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तिथि उपलब्ध नहीं है, तो इस आशय का बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21.0 अनुचित व्यवहार का प्रयोग:

(ए) कोई भी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाएगा जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करने का प्रयास, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या दबाना, गलत जानकारी प्रदान करना या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि, उसे सभी आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [ध्यान दें : दिनांक 31.07.2026 को संशोधित "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम और नियम, 2024 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।]

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

(बी) परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, आरआरबी व्यापक परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करते हैं। इसमें परीक्षा लॉग विश्लेषण, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, पैराग्राफ लिखावट, बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो आईडी सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में शामिल पाए गए अभ्यर्थी सख्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें उम्मीदवारी को रद्द करना और सभी आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित करना शामिल है।

(सी) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित और अनुचित प्रभाव का उपयोग करने पर संबंधित अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा।

(डी) **चेतावनी: रेल में या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके नियुक्ति का प्रस्ताव देने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटियरों से सावधान रहें । रे.भ.बो. भर्ती के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करता है। अभ्यर्थियों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।**

22.0 विविध:

(ए) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी विसंगति के मामले में, संबंधित रे.भ.बो. को अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(बी) रे.भ.बो किसी भी अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि करने तथा उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं संचालित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

(सी) रे.भ.बो. किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। रे.भ.बो. इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी भर्ती प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, रे.भ.बो. तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

(डी) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रे.भ.बो. का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रे.भ.बो. द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ई) रे.भ.बो. किसी भी अनजाने/मुद्रण त्रुटि के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनजाने/मुद्रण त्रुटि(यों) के कारण, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए होता है या परिणाम घोषित होता है, या उसे पैनल में शामिल किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो आरआरबी परिणामों को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे अभ्यर्थियों की पैनल में नियुक्ति को भी रद्द/संशोधित कर सकता है और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को मूल आधार माना जाए।

(एफ) आवेदन के अनंतिम रूप से स्वीकृत होने और सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर प्राप्त होने के बाद, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा चयनित संबंधित आरआरबी स्थित है। हालाँकि, किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार होने पर, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे।

(जी) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के विरुद्ध जारी किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना के लिए एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखते रहें।

(एच) व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण और उसके बाद एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर प्रकाशित संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

23.0 इस सीईएन में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	**सीबीटी** = कंप्यूटर आधारित परीक्षा, **डीवी** = दस्तावेज सत्यापन, **एमई**=चिकित्सा परीक्षण ।
आरक्षण/ आयु में छूट कोटी	**ईबीसी** = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, **भूपू-सै.**= भूतपूर्व सैनिक, **अपिव-सीएल**= अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, **अपिव-एनसीएल** = अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर, **अ. जा.** = अनुसूचित जाति, **अ.ज.जा.** = अनुसूचित जनजाति, **ईडब्लूएस** = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, **अना** = अनारक्षित (सामान्य), **पीडब्ल्यूबीडी** = बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, **आरपीडब्ल्यूडी** = विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, **पीडब्ल्यूडी** = विकलांग व्यक्ति ।
दिव्यांगता	**वीआई** = दृष्टि बाधिता **(बी**=अंधा और **एलवी**=कम दृष्टि), **एचआई** = श्रवण बाधिता (**डी**=बधिर, **एचएच**=कम सुनने वाला), **एलडी** = लोको मोटर अशक्ता (**ओए** = एक हाथ, **ओएल** = एक पैर, **ओएएल** = एक हाथ और एक पैर, **बीएल** = दोनों पैर), **डीडब्ल्यू** = बौनापन, **सीपी**=सेरेब्रल पाल्सी, **एएवी**=एसिड अटैक पीड़ित, **एलसी**=कुष्टरोग उपचारित, **एम डब्ल्यू** = मांसपेशियों की कमजोरी, **एसडी (बिना एन/एल डीएफ)** = रीढ़ की विकृति (तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के बिना), **एसआई (बिना एन/एल डीएफ)** = रीढ़ की हड्डी में चोट (बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के), **ओडी** = अन्य दिव्यांगता, **एमडी** = एकाधिक दिव्यांगता, **बी-वीआई** =बैकलॉग दृष्टिबधिता, **बी- एचआई** = बैकलॉग श्रवणबाधिता, **बी- एलडी** = बैकलॉग लोकोमोटर दिव्यंगता, **बी- ओडी** = बैकलॉग अन्य दिव्यांगता **, बी- एमडी** = बैकलॉग एक से अधिक दिव्यंगता।
रेल जोन	**म.रे**=मध्य रेल, **पू.म.रे**=पूर्व मध्य रेल, **पूतरे**=पूर्व तटीय रेल, **पूरे**=पूर्वी रेल, **सडिक**=इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, **आरसीएफ**=रेल कोच फैक्ट्री, **आरडब्ल्यूएफ**=रेल व्हील फैक्ट्री, **उरे**=उत्तरी रेल, **उमरे**=उत्तर मध्य रेल, **उपूरे**=उत्तर पूर्वी रेल, **पूसीरे**=पूर्वोत्तर सीमांत रेल, **उपरे**=उत्तर पश्चिमी रेल, **अअमासं**=अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, **दरे**=दक्षिणी रेल, **दमरे**=दक्षिण मध्य रेल, **दपूरे**=दक्षिण पूर्वी रेल, **दपूमरे**=दक्षिण पूर्व मध्य रेल, **दपरे**=दक्षिण पश्चिमी रेल, **परे**=पश्चिमी रेल, **पमरे**=पश्चिम मध्य रेल, **रे.भ.बो**.=रेल भर्ती बोर्ड, **आरआरसी**=रेल भर्ती प्रकोष्ठ**, बीएलडब्ल्यू**= बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, **सीएलडब्ल्यू**= चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, **डीएमडब्ल्यू** = डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्य, **पीएलडब्ल्यू** = पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स ।
रेल भर्ती बोर्ड (रे.भ.बो.)	**एडीआई** = अहमदाबाद, **पीआरवाईजे** = प्रयागराज, **एआईआई** = अजमेर, **बीसीटी** = मुंबई, **बीबीएस** = भुवनेश्वर, **बीपीएल**=भोपाल, **बीएलएसपी** = बिलासपुर, **सीडीजी** = चंडीगढ़, **जीकेपी**=गोरखपुर, **जीएचवाई**=गुवाहाटी, **जेएटी**=जम्मू श्रीनगर, **केओएल** = कोलकाता, **एमएएस**=चेन्नई, **एमएलडी**=मालदा, **एमएफपी** =मुजफ्फरपुर, **पीएनबीई** = पटना, **आरएनसी**=रांची, **बीएनसी** = बेंगलुरु, **एससी**= सिकंदराबाद, **एसजीयूजे**=सिलीगुड़ी, **टीवीसी**=तिरुवनंतपुरम ।
सामान्य	**एलटीआई** =बाएँ अंगूठे का निशान, **पीएसयू** =सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, **सीबीएसई** =केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, **सीईएन** =केंद्रीकृत रोज़गार सूचना, **आईएफएससी**= इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड**, जेपीईजी** = जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, **केबी** =किलोबाइट, **एनओसी**= अनापत्ति प्रमाण पत्र, **सीपीसी** =सेंट्रल पी कमीशन, **ओटीपी**=वन टाइम पासवर्ड, **ओटीआर** = वन टाइम रेजिस्ट्रैशन,**सीएससी**=कॉमन सर्विस सेंटर ।

चेतावनी :

- प्रभाव दिखकार या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी ओर से इस हेतु किसी एजेंट(एजंटो) या कोचिंग केंद्र(केंद्रो) की नियुक्ति नहीं की है। अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किएजाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी की एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखें तथा बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा डाली गई फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

सीईएन-06/2026 : पद मापदंड पदवार पैरामीटर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	वेतन	चिकि. मानक.	बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्युबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
					वीआई	एचआई	एलडी	ओडी	एमडी	
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेषक	6	35400	बी2	No	डी, एचएच	ओए, ओएल, एम डब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंर् संबंधी शिथिलता), एसआई (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंर् संबंधी शिथिलता)	No	Yes	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समकक्ष।
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	29200	ए2	No	No	No	No	No	
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक	5	29200	सी2	एलवी	डी, एचएच	ओएल, बीएल, एम डब्ल्यू, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंर् संबंधी शिथिलता), एसआई (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंर् संबंधी शिथिलता)	No	Yes	
4	वरि्ष्ठ लिपिक सह टंकक	5	29200	सी2	बी, एलवी	डी, एचएच	ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंर् संबंधी शिथिलता), एसआई (ककसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंर् संबंधी शिथिलता)	No	Yes	

Downloaded from AIJobAlert.com · Verify all details on the official website.

सीईएन सं. 06/2026 - रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेभबो-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्तियां

रेभबो अहमदाबाद

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी- एलडी	बी- एच आई	बी- ओडी	बी- एमडी
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	WR	2	3	1	5	3	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	WR	4	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो अहमदाबाद कुल			**6**	**3**	**1**	**6**	**3**	**19**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो अजमेर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी- एलडी	बी- एच आई	बी- ओडी	बी- एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	NWR	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	WCR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	NWR	87	23	6	32	18	166	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	WCR	29	16	0	18	7	70	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	NWR	18	3	4	8	2	35	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NWR	13	3	2	7	1	26	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	WCR	2	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो अजमेर कुल			**153**	**45**	**12**	**66**	**28**	**304**	**30**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो बेंगलुरु

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	SWR	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SWR	121	46	23	81	30	301	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	SWR	4	1	1	3	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	RWF	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	SWR	15	5	1	9	1	31	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो बेंगलुरु कुल			**144**	**52**	**25**	**93**	**32**	**346**	**35**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो भोपाल

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	WCR	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	WCR	61	33	27	7	2	130	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	WR	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	WCR	5	2	1	3	1	12	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	WCR	2	2	1	2	1	8	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	रेभबो भोपाल कुल			**72**	**38**	**29**	**13**	**5**	**157**	**16**	**3**	**2**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो भुवनेश्वर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	ECoR	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	ECoR	74	14	8	32	0	128	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	ECoR	2	1	1	2	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	ECoR	4	2	1	2	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो भुवनेश्वर कुल			**80**	**17**	**10**	**37**	**2**	**146**	**15**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो बिलासपुर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	SECR	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	CR	17	4	3	11	2	37	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SECR	197	73	37	131	51	489	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	SECR	7	2	1	3	1	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	CR	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो बिलासपुर कुल			**222**	**80**	**41**	**145**	**54**	**542**	**54**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो चंडीगढ़

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	NR	5	0	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	NR	9	4	2	7	3	25	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NR	13	4	4	6	1	28	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो चंडीगढ़ कुल			**27**	**8**	**7**	**13**	**4**	**59**	**5**	**1**	**1**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

रेभबो चेन्नई

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	SR	2	1	0	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SR	29	10	5	20	8	72	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	SR	8	3	2	5	2	20	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	ICF	1	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	SR	15	7	4	8	4	38	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो चेन्नई कुल			**55**	**22**	**12**	**36**	**16**	**141**	**15**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो गोरखपुर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	NER	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	NER	5	2	1	4	1	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	RDSO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NER	7	1	2	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	RDSO	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो गोरखपुर कुल			**16**	**5**	**3**	**5**	**1**	**30**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो गुवाहाटी

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	NFR	8	3	1	5	1	18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	NFR	17	7	4	12	5	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	NFR	12	5	2	8	3	30	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NFR	6	2	1	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो गुवाहाटी कुल			**43**	**17**	**8**	**27**	**9**	**104**	**9**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो जम्मू-श्रीनगर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	NR	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	NR	14	5	2	8	3	32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	DMW	3	2	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	RCF	0	0	2	5	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NR	8	2	1	3	1	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	RCF	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो जम्मू-श्रीनगर कुल			**27**	**10**	**7**	**18**	**4**	**66**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो कोलकाता

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	ER	2	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	SER	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	ER	63	23	13	43	15	157	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SER	8	3	2	5	2	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	CLW	4	1	0	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	ER	26	10	5	18	6	65	7	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	METRO	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	CLW	5	1	1	3	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	ER	16	5	3	11	4	39	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	METRO	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	SER	12	2	1	4	1	20	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो कोलकाता कुल			**141**	**47**	**25**	**90**	**29**	**332**	**33**	**3**	**4**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो मालदा

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	ER	2	7	6	1	1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	ER	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	SER	2	1	1	1	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो मालदा कुल			**5**	**9**	**8**	**2**	**2**	**26**	**3**	**1**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो मुंबई

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	CR	4	1	0	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	SCR	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	WR	2	1	0	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	CR	33	11	6	21	8	79	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SCR	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	CR	5	2	1	3	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	WR	11	4	2	6	2	25	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	CR	5	2	0	4	0	11	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	WR	5	2	0	2	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो मुंबई कुल			**69**	**23**	**9**	**41**	**13**	**155**	**15**	**3**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो मुजफ्फरपुर

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	ECR	33	10	5	18	7	73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	ECR	1	1	2	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो मुजफ्फरपुर कुल			**34**	**11**	**7**	**19**	**7**	**78**	**8**	**1**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो पटना

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	ECR	5	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	ECR	0	5	10	0	0	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	ECR	2	5	2	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो पटना कुल			**7**	**10**	**12**	**0**	**0**	**29**	**4**	**2**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

रेभबो प्रयागराज

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	NCR	15	5	3	9	4	36	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	NR	2	1	0	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	NCR	81	29	17	51	18	196	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	BLW	0	3	3	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NCR	11	3	1	4	1	20	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो प्रयागराज कुल			**110**	**41**	**24**	**66**	**24**	**265**	**26**	**2**	**4**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो रांची

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	ECR	3	1	0	2	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	ECR	129	50	25	90	32	326	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SER	14	6	2	9	3	34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	ECR	4	0	0	2	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	SER	2	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो रांची कुल			**152**	**58**	**28**	**104**	**35**	**377**	**38**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेभबो सिकंदराबाद

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	SCoR	3	2	2	2	1	10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SCoR	8	2	2	6	4	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SCR	7	1	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट	5	SCR	4	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	SCoR	3	3	3	1	0	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो सिकंदराबाद कुल			**25**	**9**	**8**	**9**	**5**	**56**	**5**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

रेभबो सिलीगुड़ी

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	NFR	3	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	NFR	114	42	21	76	28	281	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	NFR	3	1	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो सिलीगुड़ी कुल			**120**	**44**	**21**	**78**	**28**	**291**	**29**	**0**	**1**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

रेभबो तिरुवनंतपुरम

को. सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे/ पीयू	अना	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व. एन.सी.एल	ईडब्लूएस	कुल	भूपू. सै.	वीआई	एलडी	एचआई	ओडी	एमडी	बी-वी आई	बी-एलडी	बी-एच आई	बी-ओडी	बी-एमडी
1	मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक	6	SR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	मालगाड़ी प्रबंधक	5	SR	7	3	2	5	4	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट	5	SR	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रेभबो तिरुवनंतपुरम कुल			**9**	**4**	**3**	**5**	**4**	**25**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

सभी रेभबो का कुल योग	**1517**	**553**	**300**	**873**	**305**	**3548**	**351**	**25**	**18**	**16**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाणपत्र प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री ..... गॉव/ शहर .....जिला/ मंडल..... राज्य/ संघ गाँव/ राज्य क्षेत्र*..... जाति/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है:-

* संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
* संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथ अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
* संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
* संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
* संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
* संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
* अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती ..... पिता/माता' श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी ..... गाँव/शहर...../जिला/ मंडल"..... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र .....
को जो ..... जाति जनजाति से संबंधित हैं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक..... से मान्यता प्राप्त है।

3. . श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/ अथवा उसका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ..... के जिला/मंडल .. ..गॉव/शहर ..... में सामान्यत: निवासी करता है

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... पदनाम .....
(कार्यालय की मुहर सहित)
राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र .....

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दे।
* लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

@कुपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दे
% लागु न होने वाले पैराग्राफ को हटा दे

टिप्पणीः (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः निवास' का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति / जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी:

(1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों। (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां अभ्यर्थी और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है। (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक / प्रशासक के सचिव (लक्षदीव , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

Downloaded from AIJobAlert.com · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक-II

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कुमारी ----------सुपुत्र/सुपुत्री ---------- ---------- गाँव/शहर ----------जिला/मंडल ---------- ----------राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ----------समुदाय से सम्बन्ध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. ----------दिनांक---------- ----------के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी/----------और/अथवा उसका परिवार ---------- ----------राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ---------- जिला/मंडल---------- में सामान्यत: निवास करता/करती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013 - स्थापना (आरईएस), दिनांक 13.09.2017 द्वारा संशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है ।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट/उप.आयुक्त/
कोई अन्य सक्षम अधिकारी

(मुहर)

- जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दे।

** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकारके उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी कि जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतगर्त आती है ।

*** समय-समय पर यथा संशोधित ।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यत: निवास" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा ।

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों और उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां अभ्यर्थी और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

ओबीसी (एनसीएल) अभ्यर्थियों द्वारा स्व-घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 06/2026 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा (नॉन क्रीमिलेयर) वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय
प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री.....
.... श्री .....
गाँव/शहर/.....
जिला .....राज्य .....एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मै .....समुदाय (अपनी जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एसटीसी), दिनांक 08.09.1993 में अंतर्विष्ट आदेशो के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है । यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.09.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना -(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गों (क्रीमिलेयर) के अंतगर्त नहीं आता/आती हूँ ।

स्थान: अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :

दिनांक अभ्यर्थी का नाम :

रे.भ.बो. रजिस्ट्रेशन/रोल संख्या

Downloaded from AIJobAlert.com · Verify all details on the official website.

_____सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्लू एस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र क्र ..... दिनांक .....

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____,ग्राम/मोहल्ला _____डाकघर _____जिला _____राज्य_____/संघशासित प्रदेश _____पिन कोड _____ के मूल निवासी है , जिनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, क्योंकि वित्तीय वर्ष _____ में उनकी/उनके परिवार ** की सकल वार्षिक आय * 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये केवल) से कम है। उनके/ उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी सम्पति *** नहीं है।

I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगर पालिकाओ में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के आलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री /श्रीमती /कुमारी _____ जाति से संबंधित है , जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर_____
कार्यालय _____
नाम _____
पद का नाम_____

नोट 1: आय के अन्तगर्त सभी श्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल है।

** नोट 2: इस उदेश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 साल से कम उम्र बच्चे शामिल है।

*** नोट 3: ईडब्लूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या सम्पति धारण परिक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों /शहरों में एक 'परिवार ' द्वारा रखी गई सम्पति को जोड़ गया है।

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों
(iv) उप मंडल अधिकारी, जहां अभ्यर्थी और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
(v) संबंधित राज्य/ संघशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित कोई अन्य अधिकारी

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक-III ए

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) संख्या 06/2026 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े (ईबीसी) के अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफोर्मा

प्रमाण पत्र संख्या.....

1. अभ्यर्थी का नाम : ----------

2. पिता का नाम : ----------

3. आयु : ----------

4. आवासीय पता : ----------

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) : ----------

दिनांक : ---------- **हस्ताक्षर :**

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस अभ्यर्थी से है, जिसकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष रु. 50000/- रुपये से कम है । आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कि पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत है :

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी ।
(2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ।
(3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
(4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए ।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक-IV

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) संख्या 06/2026 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय आर्थिक रूप अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफोर्मा

मैं ----------सुपुत्र/सुपुत्री श्री ----------
-निवास गाँव/शहर/नगर ----------जिला----------राज्य----------
--एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ---------- (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) इंगित करे) से संबद्ध रखता हूँ /रखती हूँ।

दिनांक : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :**

स्थान : **अभ्यर्थी का नाम :**

नोट : दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा फ़ीस की छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय सम्बन्धी घोषणा/हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्/जैन/जोरोस्ट्रियन (पारसी) के अंतर्गत आता है ।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक -V(ए)

भारत सरकार का लोगो(प्रतीक चिन्ह)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो (प्रतीक चिन्ह)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का लोगो (प्रतीक चिन्ह)

फॉर्म – V

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

(एकल दिव्यांगता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांगजन का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (केवल चेहरा दिख रहा हो)

प्रमाण पत्र/यूडीआईडी सं: ..... जारी करने की तिथि :.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने /हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी .....,

पुत्र/पत्नी/पुत्री/अभिभावक ..... जन्मतिथि .....(दिन/माह/वर्ष)आयु .....वर्ष,

पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर..... पंजीकरण संख्या .....,मकान नं. .....वार्ड/गांव/गली

..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... का स्थायी निवासी, जिसकी फोटो ऊपर चिपकी हुई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि :

(क) उक्त व्यक्ति (निम्नलिखित दिव्यांगताओं में से किसी एक) से ग्रसित है :

(1) गतिविषयक दिवायांगता	(2) मांसपेशीय दुर्विकास	(3) कुष्ठरोग उपचारित	(4) बौनापन
(5) प्रमस्तिक घात	(6) एसिड अटैक पीड़ित	(7) निम्न दृष्टि	(8) दृष्टिबाधिता
(9) श्रवण बाधिता	(10) वाक् और भाषा दिव्यांगता	(11) बौद्धिक दिव्यांगता	(12) विर्निदिष्ट सीख दिव्यांगता
(13) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार	(14) मानसिक रूग्णता	(15) चिरकालिक तंत्रिका दशाएं	(16) मल्टीपल स्क्लेरोसिस
(17) पार्किंसंस रोग	(18) हीमोफीलिया	(19) थैलेसीमिया	(20) सिकल शैल रोग

(ख) शरीर के प्रभावित हुए अंग का नाम

(ग) उसके मामले मे मूल्यांकन यह है .....

(घ) व्यक्ति में .....% (आंकड़ों में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र की प्रकृति {स्थायी/अस्थायी और (दिन/माह/वर्ष) तक वैध} है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचिना सं..... दिनांक (दिन/माह/वर्ष)..... के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का दिशा-निर्देशों के अनुसार आकलन करने के उद्देश्य से है।

दिव्यांग व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षरः

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पताः

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

भारत सरकार का लोगो(प्रतीक चिन्ह)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो (प्रतीक चिन्ह)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का लोगो (प्रतीक चिन्ह)

फॉर्म VI

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(**बहु दिव्यांगता के मामले में**)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करनेवाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांगजन का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दिख रहा हो)

प्रमाणपत्र संख्या : ..... जारी करने की तिथि : .....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि /हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी .....,
पुत्र/पत्नी/पुत्री /अभिभावक ..... जन्मतिथि ....(दिन/माह/वर्ष)
आयु .....वर्ष, पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर ..... पंजीकरण संख्या .....,
मकान नं. ..... वार्ड/गांव/गली .....
..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... का स्थायी निवासी
जिनका फोटो ऊपर चिपकी हुई है,की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:

(क) वह **बहु-दिव्यांगता** से ग्रस्त है। इनकी शारीरिक दिव्यांगता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का आकलन दिशानिर्देशों के अनुसार करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसे नीचे दी गई दिव्यांगताओं के लिए अधिसूचिना सं..... दिनांक (दिन/माह/वर्ष)..... के माध्यम से अधिसूचित किया गया हैः

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग का नाम	निदान	दिव्यांगता का प्रतिशत
1	**गतिविषयक दिवायांगता**			
2	मांसपेशीय दुर्विकास			
3	कुष्ठरोग उपचारित			
4	बौनापन			
5	प्रमस्तिक घात			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	निम्न दृष्टि			
8	दृष्टिहीन			
9	श्रवण बाधित			
10	वाक् और भाषा दिव्यांगता			
11	बौद्धिक दिव्यांगता			
12	विर्निदिष्ट सीख दिव्यांगता			
13	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
14	मानसिक रूग्णता			
15	चिरकालिक तंत्रिका दशाएं			
16	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
17	पार्किंसंस रोग			
18	हीमोफीलिया			
19	थैलेसीमिया			
20	सिकल सेल रोग			

(नोट: केवल मूल्यांकन की गई दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) इनमें .....% (आंकड़े में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता हैऔर प्रमाण पत्र की प्रकृति स्थायी/अस्थायी और (दिनांक/माह/वर्ष) तक मान्य है।}

दिव्यांगजन के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्यों के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:
प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता:

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक -V(सी)

स्क्राइब सहायता लेने हेतु घोषणा

(40% या अधिक दिव्यांगता)

(परीक्षा के दिन मूल प्रति में जमा किया जाए)

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले स्क्राइब का विवरण

स्क्राइब का हाल ही में खिचाया हुआ पासपोर्ट आकार का 3.5 मिमी X 4.5 मिमी का रंगीन फोटो (जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो)

1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. रोल नंबर.....
3. सीबीटी केंद्र का नाम.....
4. अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता .....
5. दिव्यांगता का प्रकार .....
6. स्क्राइब का नाम .....
7. स्क्राइब का जन्म तिथि .....
8. स्क्राइब के पिता नाम .....
9. स्क्राइब का पता .....

(a) स्थायी पता .....

(b) वर्तमान पता .....

10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता .....
11. स्क्राइब का अभ्यर्थी के साथ सम्बन्ध .....
12. **घोषणा :**

(i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते है कि उपर्युक्त व्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले अभ्यर्थी के आचरण के बारे में रेल भर्ती बोर्ड के दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते है।

(ii) हम लोग यह उत्तरदायित्व लेते है कि स्क्राइब इस परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं है। हम समझते है कि अन्यथा पाए जाने पर हम दोनों की उम्मीदवारी ख़ारिज कर दी जाएगी।

(iii) हम घोषणा करते है कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी अभ्यर्थी के लिए लिखने का काम नहीं किया है/ नहीं करेगा।

(iv) हम यह घोषणा करते हैं कि स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता उमीदवार की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे है। यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता स्क्राइब द्वारा घोषित शैक्षणिक योग्यता के समान नहीं है तथा अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता से अधिक है तो अभ्यर्थी पद और उससे संबंधित दावों को खो देगा।

_____ _____

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर) **(स्क्राइब का हस्ताक्षर)**

वीक्षक का हस्ताक्षर

नोट: 1. दृष्टिहीनता, गति-बाधित दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - मंदबुद्धि) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहे तो, उन्हें स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(C) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

2. अन्य श्रेणी के मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, संबंधित व्यक्ति के लिए किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जिसमें यह उल्लेख हो कि उसके लिए परीक्षा लिखने और लिखने में शारीरिक अक्षमता है, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जा सकती है। अभ्यर्थी **अनुलग्नक V(F)** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और **अनुलग्नक V(C)** के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकता है, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है।

3. 40% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(r) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी **अनुलग्नक V(D)** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और **अनुलग्नक V(E)** के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लिपिक की सहायता ले सकते हैं, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले, विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती .....(अभ्यर्थी का नाम), पुत्र/पुत्री ......, निवासी .....(गाँव/डाकघर/डाकघर/जिला/राज्य), आयु .....वर्ष, एक व्यक्ति .....(दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) की परीक्षा ली है, और यह बताना है कि उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा आ रही है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपरोक्त अभ्यर्थी कृत्रिम अंग और ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट करें) जैसे सहायक उपकरणों और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए लिपिक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक हैं।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ..... तक वैध है **(यह अधिकतम छह महीने या चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होने पर कम से कम वैध है)**।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**	**(हस्ताक्षर एवं नाम)**
हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..... अध्यक्ष				

स्थान:

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

दिनांक:

नोट: (i) सभी कॉलम सही तरीके से और ज़रूरी तौर पर भरे जाने चाहिए। नाम, पदनाम, सील/स्टैम्प वगैरह साफ़ दिखने चाहिए।
(ii) निरीक्षण के लिए मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा और परीक्षा के दिन स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।
(iii) दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
(iv) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का 10 अगस्त, 2022 का कार्यालय ज्ञापन नंबर 29-6/2019-DD-III का पैरा 3(c) कृपया देखें। प्रमाणपत्र पर कम से कम तीन डॉक्टरों के साइन होने चाहिए -
(1) ऑर्थोपेडिक/PMR स्पेशलिस्ट,
(2) क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट / रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट / साइकेट्रिस्ट / स्पेशल एजुकेटर और
(3) चीफ मेडिकल ऑफिसर/सिविल सर्जन/चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर चेयरपर्सन के तौर पर

इसके अलावा, प्रमाणपत्र के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर/सिविल सर्जन/चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर पास के जिला या मेडिकल कॉलेज/इंस्टीट्यूट से न्यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को शामिल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, अगर जिला में ये उपलब्ध नहीं हैं।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा लिखित वचन पत्र
जिसे लिखने में कठिनाई हो

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र।

यहाँ स्क्राइब का हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो, चिपकाएँ
(रंगीन चित्र दो महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।)

ऊपर दिए गए बॉक्स में स्क्राइब का हस्ताक्षर
(अर्थात् फोटोग्राफ के नीचे वाले बॉक्स में)

1. मैं ---------- (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक अभ्यर्थी हूँ जो ---------- (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका रोल नंबर ---------- (केंद्र का नाम) जिले में ---------- (राज्य का नाम) पर है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

2. मैं इसके द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि ---------- (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता ---------- है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों के अपने अधिकार खो दूँगा/दूँगी।

4. रे.भ.बो. के साथ मेरा वनटाइम स्क्राइब पंजीकरण क्रमांक (ओटीआर) है...

स्थान:

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है, तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

नोट - RPwD एक्ट, 2016 के सेक्शन 2(s) के तहत आने वाले लेकिन उस एक्ट के सेक्शन 2(r) के तहत नहीं आने वाले खास दिव्यांगता वाले व्यक्ति का लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले लोग जिन्हें लिखने में दिक्कत होती है, वे भी अपनी तरफ से जवाब लिखने के लिए स्क्राइब की मदद ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अनुलग्नक V(D) के अनुसार सर्टिफिकेट दिखाना होगा और अनुलग्नक V(E) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। अगर वह नहीं दिखाया जाता है, तो अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त समय या स्क्राइब नहीं दिया जाएगा।

Downloaded from AIJobAlert.com · Verify all details on the official website.

लिखने के संबंध में परीक्षार्थी की शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र
(40% या अधिक दिव्यांगता)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने, श्रीमान/सुश्री/श्रीमती ..... (दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम),
दिव्यांग व्यक्ति ..... (दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित), पुत्र/पुत्री ....., निवासी ..... (गाँव/जिला/राज्य) की जाँच की है और यह बताया है कि उनकी शारीरिक अक्षमताएँ हैं जो उनकी दिव्यांगता के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा डालती हैं।

हस्ताक्षर
किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम एवं पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम और मुहर

स्थान:

दिनांक:

नोट: (i) प्रमाणपत्र संबंधित विषय/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे, दृष्टिबाधित - नेत्र रोग विशेषज्ञ, गतिबाधित विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर).

(ii) सभी कॉलम सही तरीके से और ज़रूरी तौर पर भरे जाने चाहिए। नाम, पदनाम, सील/स्टैम्प वगैरह साफ़ दिखने चाहिए।

(iii) निरीक्षण के लिए मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा और परीक्षा के दिन स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी।

(iv) दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक VI

पूर्व सैनिक कोटे के अन्तगर्त नागरिक रोजगार के सम्बन्ध में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मै भली भांति जानता हूँ कि इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) द्वारा की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में पूर्व सैनिको के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहूँगा, यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय असैनिक रोजगार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय /साविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) पूर्व सैनिको के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ उठाकर रोज़गार मिला है।

मै एतद् द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ :

ए) मैंने सीईएन ..... के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई असैनिक रोज़गार प्राप्त नहीं किया है।

बी) मैंने असैनिक रोज़गार में नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सीईएन ..... में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व घोषणा /वचन दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व घोषणा /वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

स्थान : **हस्ताक्षर:**

दिनांक **नाम:**

रोल नंबर :

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

नियोजित अधिकारियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती ..... जो ..... (इकाई/कार्यालय) में ..... (रैंक) ..... पर कार्यरत हैं, ने विज्ञापन संख्या ..... दिनांक ..... जैसा कि ..... (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापित किया गया है, के तहत पद ..... के लिए आवेदन किया है।

2. मैं, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/कुमारी/श्रीमती ..... (नाम) संख्या ..... (रैंक) के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता/करती हूँ:

i. वह अन्य शर्तों को पूरा करने पर, ... अनापत्ति प्रमाण पत्र की तिथि ..... को सेवा के वर्ष ..... (शब्दों में) और सैन्य सेवा छोड़ने के समय सेवा के वर्ष ..... (शब्दों में) पूरे कर लेगा/लेगी।

ii. उसे पद पर चयनित होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

कमांडिंग ऑफिसर:

स्थान : **(हस्ताक्षर)**

दिनांक : **कार्यालय मुहर**

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक VII

लेसिक या अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा के संबंध में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्व-घोषणा का प्रारूप

मै श्री / श्रीमती / कुमार .....
पुत्र/पुत्री .....
निवासी..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने **लेसिक** या कोई अन्य सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा नहीं कराई है।

मैं यह भी सहमत हूँ कि यदि मेरी घोषणा झूठी पाई जाती है, तो मुझे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और रेलवे में सभी भर्ती से वंचित कर दिया जाएगा।

स्थान: .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

आरआरबी पंजी सं....:.....

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.

केवल अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए

लेसिक सर्जरी से गुजर चुके अभ्यर्थियों की मेडिकल फिटनेस

विवरण	चिकित्सा परीक्षण श्रेणी	टिप्पणी
अभ्यर्थी जिन्होंने LASIK सर्जरी करवाई है	ए1 ए2 ए3	अयोग्य
	बी1 और बी2	"उपयुक्त" निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन: 1. अभ्यर्थी में LASIK सर्जरी के बाद LASIK सर्जरी से संबंधित कोई जटिलता नहीं देखी गई है। 2.लेसिक सर्जरी कम से कम एक वर्ष की अवधि की होनी चाहिए और इसकी पुष्टि उस संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र से होनी चाहिए जहां सर्जरी की गई थी। 3. लेसिक सर्जरी के बाद "अवशिष्ट कॉर्नियल मोटाई" पैकीमेट्री पर 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। 4. आईआरएमएम खंड I, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 512(1) (ए) के अनुसार दृश्य तीक्ष्णता। 5. फंडस सामान्य होना चाहिए। 6. प्रगतिशील नेत्ररोग का कोई सबूत नहीं।
	सी1 और सी2	"उपयुक्त"

Downloaded from AIJobAlert.com · Verify all details on the official website.

अनुलग्नक VIII

ऑनलाइन रेफ् नं _____जमा करने की तिथि और समय

(यह फॉर्म ऑनलाइन जनरेट किया जाता है और इसे **मैन्युअल रूप से नहीं भरा जाना** चाहिए।**)**

प्रमाण-पत्र पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं

अभ्यर्थी का नाम : _____

पंजीकरण-संख्या : _____

राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
सत्यापित
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____पुत्र/पुत्री श्री _____,
निवासी _____रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के **CEN 06/2026** के अंतर्गत पंजीकरण संख्या _____
के साथ आवेदन कर रहा/रही हैं तथा अभ्यर्थी की नवीनतम फोटो आवेदन पत्र की फोटो से मेल खाती है ।

सत्यापनअधिकारी का नाम : _____

पदनाम : _____

हस्ताक्षर : _____

राजपत्रित अधिकारी की मुहर/सील : _____

दिनांक : _____

स्थान : _____

नोट- सत्यापनअधिकारी के हस्ताक्षर इस प्रकार किए जाएँ कि हस्ताक्षर का एक भाग प्रमाण-पत्र पर तथा दूसरा भाग अभ्यर्थी के नवीनतम फोटोग्राफ पर आए। (चेहरे को ढकना नहीं)

Downloaded from **AIJobAlert.com** · Verify all details on the official website.